वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

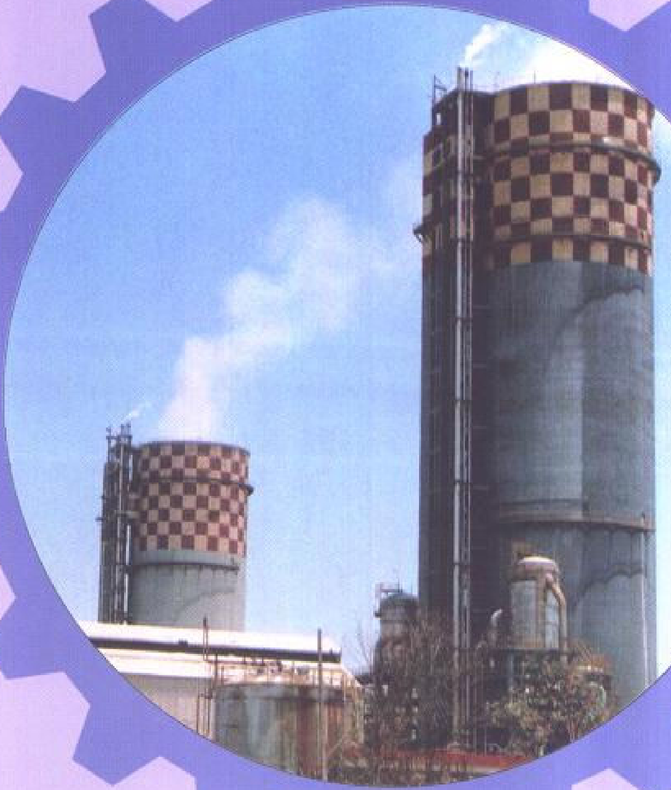

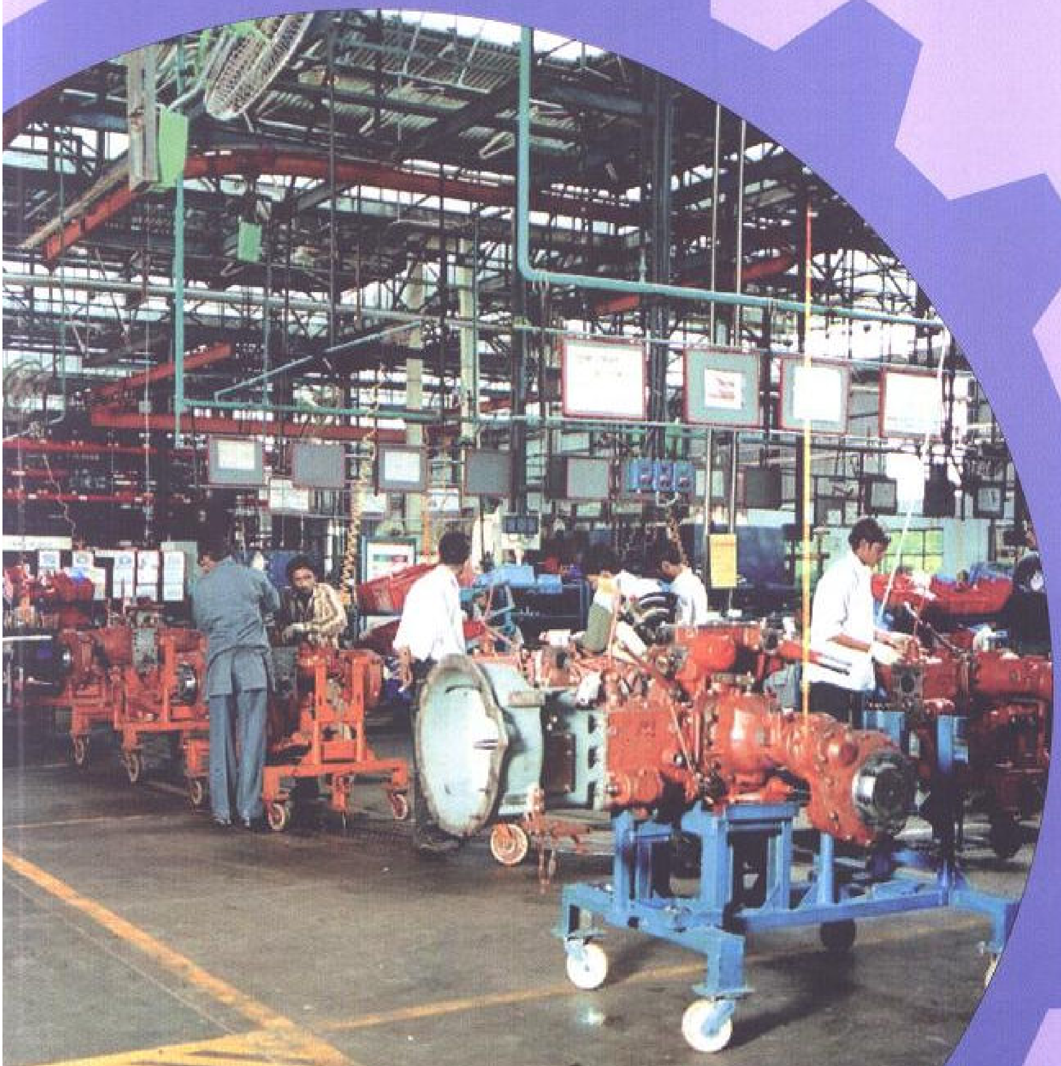

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2010-2011

ग्लोबल
समिट-II
जुराहो, मध्यप्रदेश
2-23 अक्टूबर, 2010
Global
INVESTORS SUMMIT-
Khajuraho, Madhya Pradesh
22-23 October, 2010

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2010—2011

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय		पृष्ठ क्रमांक
01	प्रभारी मंत्री एवं सचिवालय में पदस्थ अधिकारियों / विभागाध्यक्षों की जानकारी		01
02	**भाग – एक**	विभागीय संरचना, अधीनस्थ कार्यालय / निगमों की सामान्य जानकारी, विशेषताए, महत्वपूर्ण सांख्यिकी	02-32
03	**भाग – दो**	बजट विहंगावलोकन एवं योजनावार प्रावधान, लक्ष्य, व्यय	33-38
04	**भाग – तीन**	राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ	39-47
05	**भाग – चार**	सामान्य प्रशासनिक विषय	48-60
06	**भाग – पॉच**	अभिनव योजना	61-68
07	**भाग – छः**	विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन	69
08	**भाग – सात**	सारांश	70-73
09	**भाग – आठ**	महिलाओं के लिए किए गए कार्य	74-76

विभाग का नाम

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

प्रभारी मंत्री	माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय	(दिनांक 20.12.2008 से निरन्तर)
अपर मुख्य सचिव	श्री सत्य प्रकाश	(दिनांक 30.04.2010 से निरन्तर)
प्रमुख सचिव	श्री सत्य प्रकाश	(दिनांक 03.11.2007 से 29.04.2010 तक)
	श्री पी. के. दाश	(दिनांक 12.08.2010 से 06.12.2010 तक)
	श्री अनिल कुमार जैन	(दिनांक 06.12.2010 से 16.12.2010 तक)
पदेन प्रमुख सचिव	श्री पी. के. दाश	(दिनांक 16.12.2010 से निरन्तर)
अपर सचिव	श्री भरत कुमार व्यास	(दिनांक 14.07.2010 से निरन्तर)
उप सचिव	श्री भरत कुमार व्यास	(दिनांक 17.07.2009 से 13.07.2010 तक)
	श्री एस.के. वर्मा	(दिनांक 19.02.2008 से 09.07.2010 तक)
	श्री मोहम्मद रज्जाक	(दिनांक 09.07.2010 से निरन्तर)
	श्री एम.एस. सोलंकी	(मार्च 2002 से निरन्तर)
अवर सचिव	श्री पी. के. ठाकुर	(दिनांक 01.06.2006 से निरन्तर)
	श्री एम.एस. मंगोत्रा	(दिनांक 01.09.1997 से निरन्तर)
	श्री अनिल भारतीय	(दिनांक 13.11.2000 से निरन्तर)

विभागाध्यक्ष

उद्योग आयुक्त	श्री दीपक खाण्डेकर	(दिनांक 04.06.2007 से 24.04.2010 तक)
	श्री विनोद सेमवाल	(दिनांक 26.04.2010 से निरन्तर)
पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	श्री शरद तिवारी	(दिनांक 19.04.1994 से निरन्तर)
संचालक, वाष्पयंत्र	श्री पी. डी. दीक्षित	(दिनांक 03.07.2007 से निरन्तर)

भाग — एक

विभागीय संरचना

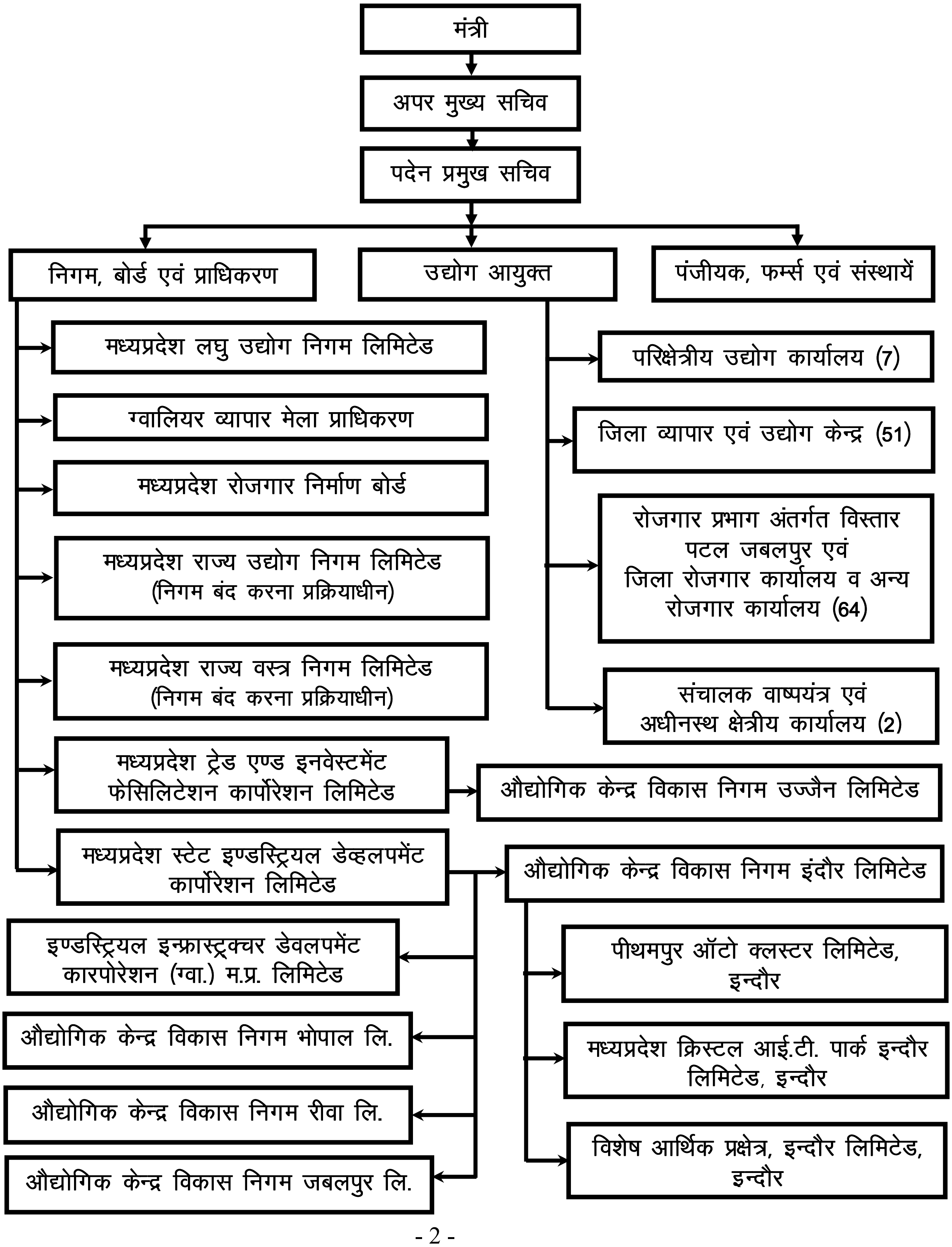

सामान्य जानकारी

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का गठन वर्ष 1956 में किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनाँक 13 सितम्बर 2004 से मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन कर, रोजगार विभाग को जनशक्ति नियोजन विभाग से पृथक करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में सम्मिलित किया गया है तथा विभाग का नाम परिवर्तित कर वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनाँक 23 मार्च 2005 द्वारा पावरलूम संबंधी कार्य ग्रामोद्योग विभाग से पृथक कर वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग में सम्मिलित किया गया है। विभाग का मुख्य उद्देश्य व्यापार एवं उद्योगों का विकास तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार को सुगम बनाना एवं रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना है।

2– विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत तीन विभागाध्यक्ष हैं :–

(1) उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश
(2) पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश
(3) संचालक, वाष्पयंत्र

3– विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत पांच सार्वजनिक उपक्रम, एक प्राधिकरण तथा एक बोर्ड निम्नानुसार है :–

(1) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड
(2) मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं पांच सहायक कम्पनियॉ तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर की तीन सहायक कम्पनियां
म.प्र. क्रिस्टल आई.टी. पार्क, इन्दौर लि., इन्दौर
विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र, इन्दौर लि., इन्दौर
पीथमपुर ऑटोक्लस्टर लि., इन्दौर
(3) मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड एवं एक सहायक कम्पनी
(4) ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण
(5) मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड
(6) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड
(7) मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

राज्य शासन द्वारा औद्योगिकरण को गति प्रदान कर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी बनाने, प्रदेश प्रशासन को उद्योग मित्र बनाये रखने एवं प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–20–1/2010/बी–ग्यारह, दिनांक 20.10.2010 से राज्य शासन द्वारा नवीन उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना जारी की गई हैं। यह नीति 01 नवंबर, 2010 से आगामी 5 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी।

4– वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की गतिविधियॉ

- उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना का क्रियान्वयन।
- मध्यप्रदेश के समग्र आर्थिक विकास हेतु निवेश को बढ़ावा देना।
- नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर, प्रदेश प्रशासन को **"उद्योग मित्र"** (Industry Friendly) बनाना।
- औद्योगीकरण को गति प्रदान कर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी बनाना।
- उद्योगों में रुग्णता दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाना।
- रोजगार की संभावनाओं को अधिक से अधिक बढ़ाना।
- विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं को समन्वित कर रोजगार के निरंतर अवसर उपलब्ध कराना।
- औद्योगीकरण के प्रयासों में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना।

5– उद्योग संवर्धन नीति–2010 एवं कार्ययोजना

5.1 प्रमुख बिंदु :–

- प्रदेश में स्थापित होने वाले नवीन उद्योगों में न्यूनतम 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय व्यक्तियों को दिये जाने का प्रावधान, सहायता योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में उद्योगों के साथ निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्धों में किया जाना।
- एक ही स्थान पर स्थापित 1000 से अधिक नियमित रोजगार देने वाले उद्यम को "मेगा प्रोजेक्ट" मान्य करते हुए निर्धारित प्रीमियम दर के 25 प्रतिशत की दर पर, रोजगार की संख्या के आधार पर निर्धारित मापदण्ड अनुसार भूमि सशर्त उपलब्ध कराना।
- 1000 से अधिक नियमित रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में, मध्यप्रदेश के मूल निवासियों की संख्या (उद्योग के प्रबंधन श्रेणी को छोड़कर) न्यूनतम 90 प्रतिशत होने पर, उद्योग निवेश संवर्धन सहायता एवं प्रवेशकर मुक्ति सुविधा की योजनाओं में पृथक–पृथक अतिरिक्त 2 वर्ष की अवधि का लाभ दिये जाने का प्रावधान।
- वृहद एवं मध्यम उद्योगों को उद्योग परिसर तक मूलभूत अधोसंरचना विकसित करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम राशि रूपये एक करोड़ तक, उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान।
- 500 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों एवं कर्मचारियों के आवास हेतु, कुल भूमि की अधिकतम 10 प्रतिशत भूमि को, पृथक जोन बनाकर आरक्षित किये जाने का प्रावधान।

- विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में गैर–खतरनाक उद्योगों को सुरक्षा एवं आवश्यक सेवाओं की दृष्टि से इकाई के पास उपलब्ध भूमि में से उपयुक्त भूमि पर अस्थाई (ट्रांजिट) आवास निर्माण हेतु भू–आवंटन नियमों के प्रावधानानुसार अनुमति दिये जाने का प्रावधान।

- गैर–कृषि, गैर–वनभूमि का चयन कर, "लैण्ड बैंक" बनाया जाना।

- केवल सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को उनके द्वारा निजी भूमि क्रय कर औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन (diversion) कराने पर अधिकतम 5 एकड़ भूमि के व्यपवर्तित भू–राजस्व में 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान।

- औद्योगिक क्षेत्रों एवं विकास केन्द्रों में दोहरी कर प्रणाली समाप्त करने में आ रही कठिनाईयों/बिलम्व के दृष्टिगत राज्य में "स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट" लाये जाने का प्रावधान।

- औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक विकास केन्द्रों के समीप उद्योगों के श्रमिकों/कर्मियों के लिए आवासीय क्षेत्र विकसित करने हेतु आवश्यकतानुसार भूमि की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान।

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बहुमंजिला औद्योगिक काम्पलेक्स की स्थापना किये जाने का प्रावधान।

- शहरी क्षेत्र के असंगठित सूक्ष्म उद्योगों, हस्तशिल्प एवं सेवा इकाईयों के लिए आवश्यकतानुसार सर्वसुविधायुक्त आधुनिक शहरी बहुउद्देश्यीय काम्पलेक्स की स्थापना का प्रावधान।

- दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर (DMIC) के अधीन अधोसंरचना का विकास।

- शहरी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक शहर में शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आधारित उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु "विशेष पैकेज" का प्रावधान।

- रूपए 10 करोड़ से अधिक स्थाई पूंजी के मॉडर्न राइस मिल द्वारा बासमती राइस के उत्पादन हेतु कच्चेमाल (धान) क्रय पर मण्डी शुल्क से छूट दिये जाने का प्रावधान।

- प्रवेशकर के प्रयोजन हेतु औद्योगिक क्षेत्र अथवा औद्योगिक विकास केन्द्र को एक ही स्थानीय क्षेत्र मान्य कर इसके क्षेत्रान्तर्गत एक इकाई से दूसरी इकाई द्वारा क्रय किये जाने वाले कच्चेमाल पर प्रवेशकर की देयता समाप्त करने के संबंध में प्रवेशकर अधिनियम में आवश्यक प्रावधान किया जाना।

- किसी उद्योग के अर्धनिर्मित उत्पाद को किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाई में इंटरमीजिऐट प्रोसेसिंग/फिनिशिंग के लिए अस्थाई रूप से भेजने तथा उक्त प्रक्रिया के

पश्चात, संबंधित औद्योगिक इकाई में वापस प्राप्त होकर, विक्रय योग्य उत्पाद निर्मित होने पर, इस प्रकार की वस्तुओं के स्थानांतरण में प्रवेशकर की देयता नहीं होने के संबंध में प्रवेशकर अधिनियम में आवश्यक प्रावधान किया जाना।

- ऐसे उद्योग जो भौतिक रूप से एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में स्थापित अथवा विस्तारित हैं, को प्रवेश कर के प्रयोजन हेतु एक ही स्थानीय क्षेत्र में स्थापित होना मान्य करने के संबंध में प्रवेशकर अधिनियम में आवश्यक प्रावधान किया जाना।

- रूपए 25 करोड़ या अधिक स्थाई पूंजी निवेश के, प्रवासी भारतीय/ प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश द्वारा स्थापित विनिर्माण उद्यमों हेतु सुंविधाओं का ''विशेष पैकेज'' अंतर्गत प्रवेश कर मुक्ति की अतिरिक्त एक वर्ष एवं उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की अतिरिक्त दो वर्ष की सुविधा का प्रावधान।

- अजा/अजजा/महिला उद्यमी के अतिरिक्त निःशक्तजनों के लिए भी बढ़ी हुई दर (6 प्रतिशत), बढ़ी हुई अवधि (8 वर्ष) एवं अधिकतम सहायता राशि (रूपए 25 लाख) की ब्याज अनुदान सुविधा (वृहद उद्योगों को छोड़कर) का प्रावधान।

- अजा/अजजा/महिला उद्यमी के अतिरिक्त निःशक्तजनों के लिए भी बढ़ी हुई दर (20 प्रतिशत) एवं अधिकतम सहायता राशि (रूपए 20 लाख) की निवेश पर अनुदान सुविधा का प्रावधान।
- मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र लघु उद्योग इकाईयों के पंजीयन का सरलीकरण किये जाने का प्रावधान।

- केवल ऐसी सोयाबीन प्रसंस्करण इकाईयां, जिनके कुल उत्पादन में सोयाबीन तेल (रिफाइन्ड तेल भी सम्मिलित) व डी–आईल्ड केक के अतिरिक्त अन्य मूल्य संवर्धित (value added) उत्पादों का प्रतिशत (कुल विक्रय मूल्य के आधार पर) पच्चीस अथवा उससे अधिक हो, को सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान।

- अनुपयोगी वस्तुओं/अपशिष्ट की रिसाईक्लिंग कर उत्पाद बनाने वाले रूपए 10 करोड़ से अधिक स्थाई पूंजी निवेश के विनिर्माण उद्यमों को ''मेगा प्रोजेक्ट'' मान्य करते हुए रियायती दरों पर निर्धारित मापदण्ड अनुसार भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान।

- रूपए 50 लाख से अधिक स्थाई पूंजी निवेश के औद्योगिक अपशिष्ट प्रसंस्करण लघु उद्योग को भी थ्रस्ट सेक्टर में सम्मिलित करते हुए विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान।

- उद्योग विभाग की अनुदान योजनाओं एवं कर मुक्ति की सुविधा के लिये अपात्र औद्योगिक इकाईयाँ तथा सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र के उद्यम, बीमार लघु श्रेणी उद्योगों के लिए पुनर्जीवन योजनान्तर्गत पात्र नहीं होंगे।

- बीमार लघु श्रेणी उद्योगों के लिए पुनर्जीवन योजना में इकाई की बंद अवधि का अधिकतम रूपये 1.00 लाख की सीमा तक न्यूनतम प्रभार माफ करने का प्रावधान।
- बीमार लघु श्रेणी उद्योगों के लिए पुनर्जीवन योजना में इकाई के बंद होने की अवधि में मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी को बकाया राशि पर देय ब्याज अधिकतम रूपये 1.00 लाख की सीमा तक तथा पुनर्संयोजन की स्थिति में देय अतिरिक्त सर्विस चार्ज को तथा इकाई पर लगाये गये पिनल चार्जेस को, पृथक–पृथक अधिकतम रूपये 25 हजार की सीमा तक माफ करने का प्रावधान।
- राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी उपक्रम के घोषित चूककर्ता /अशोधी (defaulter) को नीति के अधीन घोषित सुविधाओं/रियायतों की पात्रता नहीं होने संबंधी प्रावधान।

5.2 उद्योग नीति 2010 अंतर्गत प्रमुख सहायता/अनुदान योजनाएँ

(i) **टर्म लोन पर ब्याज अनुदान** – राज्य में स्थापित होने वाली सूक्ष्म, लघु व मध्यम विनिर्माण उद्यमों को 5 से 7 वर्षों तक पिछड़ा 'अ' जिले में 3 प्रतिशत अधिकतम रुपये 10 लाख, पिछड़ा 'ब' जिले में 4 प्रतिशत अधिकतम रुपये 15 लाख तथा पिछड़ा 'स' जिले में 5 प्रतिशत अधिकतम रुपये 20 लाख ब्याज अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। सम्पूर्ण प्रदेश में अजा/अजजा/महिला/निःशक्तजन श्रेणी के लिए सहायता राशि की दर 6 प्रतिशत, अवधि 8 वर्ष एवं अधिकतम राशि रू. 25 लाख होगी।

(ii) **स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान** – केवल सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण उद्यमो को उनके द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत की दर से पिछड़ा 'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी के जिलों में अधिकतम राशि क्रमशः 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये एवं 15 लाख रुपये पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा। सम्पूर्ण प्रदेश में अजा/अजजा/महिला/निःशक्तजन श्रेणी के लिए अनुदान 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम राशि रू. 20 लाख होगी।

(iii) **परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति** – विनिर्माण उद्यमों की स्थापना हेतु तैयार की गई परियोजना प्रतिवेदन पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणी के लिए एक प्रतिशत की दर से एवं वृहद श्रेणी को 0.5 प्रतिशत की दर से दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 3 लाख होगी।

(iv) **पेटेन्ट व्यय की प्रतिपूर्ति** – उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेटेंट प्राप्त करने पर हुए व्यय की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति अधिकतम रुपये दो लाख की सीमा तक की जाएगी।

(v) **गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति** – विनिर्माण उद्यमों को गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत या रू. 1.00 लाख, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(vi) **उद्योग निवेश संवर्धन सहायता** – इस योजनान्तर्गत लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी की ऐसी औद्योगिक परियोजनाए, जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक को स्थाई पूँजी निवेश रूपए 1.00 करोड़ या उससे अधिक हो को उनके द्वारा जमा किए गए मूल्य संवर्धन कर

(VAT)/केन्द्रीय विक्रय कर की राशि (जिसमें कच्चे माल के क्रय पर चुकाया गया वेट/क्रय कर सम्मिलित नहीं हैं) पर इनपुट टैक्स रिबेट के समायोजन के पश्चात् जमा शेष कर राशि के विरूद्ध उद्योग निवेश सवंर्धन सहायता जिले की श्रेणी एवं न्यूनतम पात्र स्थायी पूंजी वेष्ठन के आधार पर निम्नानुसार सीमा तक एवं अवधि के लिये दी जाएगी –

क्र.	जिले की श्रेणी	न्यूनतम पात्र स्थायी पूंजी वेष्ठन	निवेश संवर्धन सहायता का प्रतिशत	अवधि
01.	अग्रणी जिला	रूपए 25 करोड़ से कम रूपए 25 करोड़ या उससे अधिक	50 75	03 वर्ष 03 वर्ष
02.	पिछड़ा जिला श्रेणी 'अ'	रूपए 20 करोड़ से कम रूपए 20 करोड़ या उससे अधिक	50 75	05 वर्ष 05 वर्ष
03.	पिछड़ा जिला श्रेणी 'ब'	रूपए 15 करोड़ से कम रूपए 15 करोड़ या उससे अधिक	50 75	05 वर्ष 07 वर्ष
04.	पिछड़ा जिला श्रेणी 'स'	रूपए 10 करोड़ से कम रूपए 10 करोड़ या उससे अधिक	50 75	05 वर्ष 10 वर्ष

(vii) **प्रौद्योगिकी क्रय व्यय प्रतिपूर्ति** – एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय पर भुगतान का 50 प्रतिशत या अधिकतम दो लाख रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

6– उद्योग सलाहकार परिषद–

प्रदेश के औद्योगिकरण के हित में सलाह एवं सुझाव के लिये माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में उद्योग सलाहकार परिषद का गठन किया गया।

7– प्रदेश में नई औद्योगिक नीति, 2010 एवं कार्ययोजना के लागू होने से प्रदेश के औद्योगीकरण में गति तथा पूॅजी निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से सकारात्मक बदलाव आएगा। प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु देश–विदेश के उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्योग मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न आयोजन स्थल पर उद्योगपतियों के साथ विचार विमर्श कर उन्हें प्रदेश में उद्योग नीतियों व औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी प्रदान कर प्रदेश में उद्योग स्थापनार्थ आमंत्रित किया है।

8– सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006–(MSMED ACT-2006)

प्रदेश में ''माईक्रो, स्माल एण्ड मीडियम इन्टरप्राइजेस डेव्हलपमेंट एक्ट–2006'', दिनाँक 02 अक्टूबर 2006 से प्रभावशील हो गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना दिनाँक 29 सितम्बर 2006 के द्वारा **महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र** को उनके कार्य क्षेत्र के, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के परिप्रेक्ष्य में मेमोरेण्डम प्राप्त कर, अभिस्वीकृति जारी करने के लिये **प्राधिकारी** बनाया गया है। राज्य शासन द्वारा अधिनियम के अध्याधीन, मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम 2006 दिनाँक 10 जनवरी 2007 को अधिसूचित कर दिये गये हैं तथा फैसिलिटेशन काउन्सिल के गठन की अधिसूचना दिनाँक 10 जनवरी 2007 को जारी कर

दी गई है। फेसिलिटेशन कांउसिंल ने जुलाई 2007 से बैठकें प्रारंभ की गई है । वर्ष 2010–11 में दिसम्बर, 10 अंत तक 06 बैठकें आयोजित की गई, जिसमें विगत वर्ष के 60 प्रकरण सहित कुल 72 प्रकरणों रखे जाकर 30 प्रकरण निराकृत किये गये ।

8.1 अधिनियम की मुख्य विशेषतायें –

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से लघु एवं मध्यम उद्यमों की उन्नति और विकास में मदद करना है।

- उद्योग के साथ–साथ सर्विस सेक्टर को भी मान्यता देते हुए उद्योग के स्थान पर उद्यम की परिभाषा, सूक्ष्म उद्यम हेतु स्पष्ट प्रावधान, लघु उद्यम (विनिर्माण) की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना।
- आर्थिक स्तर पर उपलब्धियों के अनुरूप मध्यम उद्यमों को परिभाषित करना।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा प्रदत्त सेवाओं और माल की खरीद के लिए वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराना।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में भुगतान में विलम्ब को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान को सुदृढ़ करना।
- राष्ट्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बोर्ड को वैधानिक आधार प्रदान करना।
- लघु उद्योग के लिए जटिल व दोहरी पंजीकरण प्रक्रिया के स्थान पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए वैकल्पिक विवरण पत्रक भरने की व्यवस्था।

8.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का वर्गीकरण–

प्लांट एवं मशीनरी (भूमि एवं भवन को छोड़कर) में पूॅजीवेष्ठन के अधिकतम सीमा के आधार पर विनिर्माण (मैन्युफेक्चरिंग) तथा सेवा (सर्विस) उद्यम को वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण निम्नानुसार हैः–

वर्गीकरण	मैन्यूफैक्चरिंग पूॅजीवेष्ठन सीमा	सर्विस सेक्टर पूॅजीवेष्ठन सीमा
सूक्ष्म उद्यम	रु. 25 लाख तक	रु. 10 लाख तक
लघु उद्यम	रुपये 25 लाख से अधिक व रुपये 5 करोड़ तक	रुपये 10 लाख से अधिक व रुपये 2 करोड़ तक
मध्यम उद्यम	रुपये 5 करोड़ से अधिक व रुपये 10 करोड़ तक	रुपये 2 करोड़ से अधिक व रुपये 5 करोड़ तक

उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यम उद्यम के लिए भी मेमोरण्डम प्राप्त करने व उनकी अभिस्वीकृति जारी करने के लिए भारत सरकार ने स्थानीय जिला स्तर पर ही सम्बंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्राधिकारी बनाया है। इस कारण मध्यम उद्यम के मेमोरण्डम जिले स्तर पर दाखिल करने की व्यवस्था उपलब्ध हो गई है।

9– सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (सीपेट) –

सीपेट को भारत सरकार से उनकी परियोजना हेतु अधोसंरचना, मशीनरी एवं उपकरण हेतु सहायता प्राप्त हो रही है। यह सहायता, केन्द्र सरकार अंश 50 प्रतिशत, राज्य सरकार अंश 50 प्रतिशत के आधार पर प्राप्त होना है।

10– उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमेप) –

उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमेप) मध्यप्रदेश शासन, (वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग) केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों, इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आई.डी.बी.आई.) इण्डस्ट्रीयल फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (आई.एफ.सी.आई.), इण्डस्ट्रीयल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया (आई.सी.आई.सी.आई.) एवं राज्य के अग्रणी बैंकों द्वारा प्रवर्तित संस्थान है। प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग इसके अध्यक्ष हैं।

केन्द्र का पंजीयन 17 नवम्बर, 1988 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत किया गया है।

केन्द्र की प्रमुख गतिविधियॉ–

इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उद्यमिता विकास से सम्बंधित जानकारियों का स्वरोजगार के लिए प्रचार–प्रसार करना तथा नये उद्यमियों को उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके साथ–साथ इसका कार्य कार्यरत लघु उद्यमियों की कार्यकुशलताओं में वृद्धि करना, उद्यमिता के लिए उचित वातावरण विकसित करने हेतु प्रयास करना और अपने विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से लोगों को उद्यमिता एवं स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना आदि हैं।

केन्द्र द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उद्यमिता जागरूकता शिविर, फेकल्टी डवलपमेंट कार्यक्रम, स्टॉफ ओरियेन्टेशन कार्यक्रम, पी.एम.ई.जी.पी., रानी दुर्गावती अजा/अजजा स्वरोजगार योजना, दीनदयाल रोजगार योजना एवं शासन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

उद्योग प्रभाग

क – उद्देश्य

- मध्यप्रदेश के समग्र आर्थिक विकास में औद्योगीकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से योगदान देना।
- वृहद् एवं मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्यमों एवं सहायक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देना। ।
- प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन।
- निर्यात वृद्धि के लिए उत्प्रेरक एवं सहायक की भूमिका निभाना।
- रोजगार सेवा का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत आवेदकों को रोजगार प्राप्त कराने में सहायता प्रदान कराना तथा नियोजकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप जनशक्ति उपलब्ध कराना है।
- रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत नियोजकों से रोजगार संबंधी जानकारी एकत्रित कर उपयोगी योजना बनाने में किया जाता है।
- बेरोजगार आवेदकों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए व्यवसायिक मार्गदर्शन देना।
- अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- प्रदेश में स्थित पावरलूम उद्योगों का विकास एवं पावरलूम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देना।

ख – प्रमुख विशेषताऐं

मध्यप्रदेश में प्रभावी व गतिशील औद्योगीकरण की दिशा में मध्यप्रदेश शासन द्वारा उद्योगों की स्थापना व उसके संचालन को सरल व सहज बनाने की दृष्टि से **सिंगल एजेन्सी क्लीयरेन्स प्रणाली** लागू की गई है। मध्यप्रदेश इस नई व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इसी प्रकार विभाग द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने हेतु एक छत के नीचे विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

ग – सिंगल ऐजेंसी क्लीयरेन्स प्रणाली

उद्योगों को विभिन्न विभागों/संस्थान से अनुमतियां/सम्मतियां लेने में होने वाली कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए सिंगल ऐजेंसी क्लीयरेन्स प्रणाली प्रारंभ की गई है जिसके तहत निम्न विभागों के उद्योगों की स्थापना से संबंधित अधिकार उद्योग विभाग के महाप्रबंधकों को प्रत्यायोजित किये गये हैं :–

- राजस्व विभाग के तहत भूमि व्यपवर्तन एवं राजस्व वसूली के अधिकार।
- गृह विभाग के तहत लोक परिसर से बेदखली के अधिकार।

- वाणिज्यिक कर विभाग के तहत औद्योगिक इकाईयों को अस्थायी एवं स्थायी पंजीकरण के अधिकार।
- श्रम विभाग के तहत कारखाना स्थल अनुमोदन निर्माण एवं विस्तार की अनुमति के अधिकार।
- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के तहत 100 वर्गमीटर से कम हीटिंग सरफेस वाले बॉयलरों को बॉयलर एक्ट के बंधनों से मुक्त किया गया है।
- ऊर्जा विभाग के तहत औद्योगिक इकाईयों को निम्न एवं उच्च दाब कनेक्शन देने के अधिकार।
- आवास एवं पर्यावरण विभाग के तहत औद्योगिक इकाईयों को मानचित्र अनुमोदित करने के अधिकार।
- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के तहत औद्योगिक इकाईयों को भवन निर्माण अनुज्ञा देने के अधिकार।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत औद्योगिक इकाईयों को भवन निर्माण की अनुमति देने के अधिकार।

घ – एक छत के नीचे स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन

- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनाँक 22 जुलाई 1999 के अनुसार जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों द्वारा योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है।
- जिस जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में निगम का स्टाफ नहीं है वहां उद्योग विभाग के प्रबंधक, स्वरोजगार द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है।
- जहां निगमों का स्टाफ उपलब्ध है वहां जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में उनके बैठने की व्यवस्था की गई है।
- हितग्राहियों के लिये यह सुविधाजनक है क्योंकि एक छत के नीचे ही हितग्राहियों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है जिससे उनके द्वारा सही योजना का चयन पात्रता अनुरूप संभव हो पाता है।

ङ – जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा निगम/प्राधिकरण की निम्नलिखित स्वरोजगार योजनाओं का अनुश्रवण किया जाता है–

क्रमांक	निगम/ प्राधिकरण का नाम	योजना का नाम
1	मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम	स्वरोजगार योजना

च – उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की महत्वपूर्ण सांख्यिकी :–

- प्रदेश में मार्च, 2009 तक कुल 4,11,080 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापित हुए हैं, जिनमें राशि रुपये 297087.49 लाख की पूंजी वेष्ठन है तथा 1093107 रोजगार निर्मित हुए हैं। वर्ष 2009–10 में कुल 19721 नवीन उद्योग स्थापित हुये है, जिसमें राशि रुपये 25414.24 लाख का पूँजी वेष्ठन तथा 41302 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

- वर्ष 2010–11 में दिसम्बर 2010 तक कुल 14218 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापित हुये, जिसमें रुपये 17834.03 लाख का पूंजी निवेश तथा 28231 व्यक्ति रोजगार से लाभांवित हुये।

- दिसम्बर 2010 तक कुल 732 वृहद एवं मध्यम उद्योग स्थापित रहे, जिनमें राशि रुपये 25672.72 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है तथा 175341 व्यक्तियों के लिये प्रत्यक्ष रूप से रोजगार निर्मित हुये हैं।

प्रदेश में वर्ष 2006–07 सें 2010–11 (दिसम्बर,10 तक) तक वर्षवार स्थापित वृहद एवं मध्यम उद्योग, पॅूजी निवेश एवं रोजगार की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रं.	वर्ष	स्थापित वृहद एवं मध्यम उद्योग	पॅूजी निवेश (लाख रू. में)	रोजगार
1	2006–07	10	54527.00	1819
2	2007–08	12	148642.35	4131
3	2008–09	15	49223.24	1311
4	2009–10	25	141387.06	4723
5	2010–11 दिसम्बर 2010 तक (प्रावधिक)	06	25742.72	662

- भारत सरकार की क्लस्टर योजना के अंतर्गत प्रदेश मे उत्साहजनक कार्य हुआ है। वर्ष 2009–10 में 10 एम.एस.एम.ई. कलस्टर के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए थे, जिनमें से 3 में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। तीन क्लस्टर में राशि रूपए 2.70 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा रूपए 1.53 लाख नोडल एजेन्सी को प्राप्त हो चुके है। एक क्लस्टर की डायग्नोस्टिक स्टडी का कार्य पूर्ण किया जाकर प्रतिवेदन भारत सरकार की ओर भेजा चुका है।

  वर्ष 2010–11 में 5 एम.एस.एम.ई. क्लस्टर तथा 9 अधोसंरचना विकास क्लस्टर के प्रस्ताव भारत सरकार की ओर भेजे गए है, जिनमें से 2 प्रस्तावों में रूपए 14.30 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

- **<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम</u> :–**

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008 से प्रारंभ किया गया है। जिसके लिये खादी ग्रामोद्योग आयोग को नोडल ऐजेन्सी नियुक्त किया गया है, योजना के क्रियान्वयन हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग/खादी ग्रामाद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में तथा उद्योग संचालनालय अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों के माध्यम से लक्ष्य का **50** प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा **50** प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में पूर्ण किया जावेगा।

योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 के लिये खादी ग्रामाद्योग आयोग के भोपाल कार्यालय से उद्योग संचालनालय को भौतिक लक्ष्य 1554 तथा वित्तीय लक्ष्य रू0 2176.05 लाख (मार्जिन मनी राशि) प्राप्त हुआ है। योजनान्तर्गत लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर 10 तक 562 हितग्राहियों को 1292.95 लाख मार्जिन मनी वितरित कराई गई।

- **रानी दुर्गावती अजा/अजजा स्वरोजगार योजना** :–

  वर्ष 2009–10 के लिए 3500 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध 2008 शिक्षित बेरोजगारों को राशि रूपये 1603.69 लाख की मार्जिन मनी स्वीकृति उपरान्त वितरित कर लाभान्वित किया गया है।

  वर्ष 2010–11 के लिये 3500 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2010 तक, 1999 शिक्षित बेरोजगारों को राशि रूपये 1713.77 लाख की मार्जिन मनी स्वीकृति उपरान्त वितरित कर लाभान्वित किया गया है ।

- **दीनदयाल रोजगार योजना** :–

  वर्ष 2009–10 में लक्ष्य 3000 के विरूद्ध 2178 शिक्षित बेरोजगारों को राशि रूपये 178.18 लाख रूपये की मार्जिन मनी स्वीकृत की जाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

  वर्ष 2010–11 में लक्ष्य 3000 के विरूद्ध दिसम्बर 2010 तक 1126 शिक्षित बेरोजगारों को राशि रूपये 90.03 लाख रूपये की मार्जिन मनी स्वीकृत की जाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

रोजगार प्रभाग

उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश के रोजगार प्रभाग द्वारा पारंपरिक रूप से तीन गतिविधियॉ संचालित की जाती हैं ।

- *रोजगार सहायता*
- *व्यावसायिक मार्गदर्शन*
- *रोजगार बाजार सूचना संग्रह*

प्रत्यक्षतः इन गतिविधियों का उद्देश्य, बेरोजगार आवेदकों को नियोजन सेवा उपलब्ध कराना, रोजगार/स्वरोजगार के चयन, परिवर्तन एवं समायोजन के लिए व्यावसायिक परामर्श देना, नियोजकों को उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध कराना तथा स्थानीय रोजगार बाजार का अध्ययन कर महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र करना है। अपरोक्ष रूप से रोजगार सहायता/व्यावसायिक मार्गदर्शन के माध्यम से बेरोजगारी/अर्धबेरोजगारी कम करने एवं उत्पादकता को बढ़ाने में रोजगार सेवा की सक्रिय सहभागिता होती है, साथ ही रोजगार बाजार सूचना संग्रह कार्यक्रम के अन्तर्गत संग्रहीत रोजगार बाजार की प्रवृत्तियों, उभरते रोजगार अवसरों/बेरोजगारी/अर्धबेरोजगारी आदि के वर्गीकृत आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार संबंधी योजनाओं के लिए आधारभूत आंकडे उपलब्ध कराते हैं।

<u>पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं</u>

1. **<u>दायित्व</u> :—** इस कार्यालय के अधीन निम्न अधिनियमों का कार्य सौपा गया है :—
भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932— जिसके अंतर्गत

1. व्यापारिक भागीदारी फर्मो का पंजीयन करना।
2. फर्मो की रचना समय पर किए गए परिवर्तनो को प्राप्त आवेदनो को रिकार्ड में दर्ज करना।
3. भागीदारों एव अन्य द्वारा चाहे जाने पर प्रलेखो की प्रतियां जारी करना।

इस अधिनियम के तहत विगत 05 वर्षों मे पंजीयत की गई फर्मों की संख्या वर्षवार निम्नानुसार है :—

वर्ष	**पंजीयत फर्मों की संख्या**
2006—07	1108
2007—08	1032
2008—09	1297
2009—10	1545
2010—11	1525 (दिनांक 31.12.2010तक)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 एव संशोधित नियम 1998 :—

1. शैक्षणिक, सांस्कृतिक, परोपकारी, जनकल्याणकारी, स्वयंसेवी संस्थाओ का पंजीयन करना।
2. अधिनियम की विभिन्न धाराओ के अधीन प्राप्त जानकारियो को निराकृत करना
3. संस्थाओ एव अन्य द्वारा चाहे जाने पर अधिनियम के प्रावधानो के अधीन प्राप्त प्रलेखो की प्रतियॉ जारी करना।
4. पंजीकृत संस्थाओ की जांच, विशेष आडिट, निरीक्षण एवं शासन द्वारा प्रशासक नियुक्ति आदि के कार्य किए जाते है।

इस अधिनियम के तहत विगत 05 वर्षों मे पंजीयत की गई संस्थाओं की संख्या वर्षवार निम्नानुसार है:—

वर्ष	पंजीयत संस्थाओं की संख्या
2006—07	5456
2007—08	5090
2008—09	5397
2009—10	5903
2010—2011	5755 (दिनांक 31.12.10 तक)

2. **<u>सामान्य जानकारी</u>** :–

उपरोक्तानुसार कार्यालय के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने हेतु एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है ।

कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश के द्वारा आलोच्य वर्ष 2010–2011 मे दिनांक 01–04–2010 से 31–12–2010 की अवधि मे मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 एव संशोधित अधिनियम एव नियम 1998 के अधीन 5755 संस्थाएं एव भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन 1525 फर्म पंजीकृत की गई है।

इस कार्यालय के मुख्यालय भोपाल तथा संभागीय कार्यालय मे एकल खिड़की की व्यवस्था के तहत् उक्त अधिनियम के प्रावधानो के अधीन प्राप्त आवेदन पत्रो के निराकरण की समय सीमा निश्चित की गई है,जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

(1)	फर्म / संस्था पंजीयन	– छह कार्य दिवस
(2)	फर्म की रचना मे परिवर्तन	– छह कार्य दिवस
(3)	फर्म / संस्था के प्रलेखो की प्रमाणित प्रतियॉ	– छह कार्य दिवस
(4)	सोसायटियो की ओर से प्राप्त होने वाले वार्षिक जानकारी के निराकरण की अवधि पंजीयन	– बीस कार्य दिवस

3 **<u>सामान्य या प्रमुख विशेषताएं</u>** :– शासन द्वारा कार्यालय के कम्प्युटरीकरण के माध्यम से कार्य करने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके तहत कार्यालय के संपूर्ण रूप से कम्प्युटरीकरण किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।

4. **<u>महत्वपूर्ण सांख्यिकी</u>** :– वर्ष 2002–03 से इस कार्यालय की आय में शासन द्वारा अधिनियमों मे पारदर्शिता लाने के लिये आवश्यक संशोधन किये गये तदोपरांत इस कार्यालय की आय में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है। विगत 05 वर्षो का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	लक्ष्य	आय (लाखो मे)
2006–2007	300.00 लाख	348.61 लाख
2007–2008	290.00 लाख	325.94 लाख
2008–2009	335.00 लाख	309.80 लाख
2009–2010	340.00 लाख	301.48 लाख
2010–2011	275.00 लाख	264.06 लाख (दिनांक 31.12.2010 तक)

वाष्पयंत्र संचालनालय, मध्यप्रदेश

दायित्व :– मध्यप्रदेश राज्य में बॉयलर अधिनियम 1923, भारतीय बॉयलर विनियम 1950, मध्यप्रदेश बॉयलर नियम 1969 व मध्यप्रदेश मितोपयोजक नियम 1959 का पालन सुनिश्चित करना एवं मध्यप्रदेश बॉयलर परिचारक नियम 1958 एवं मध्यप्रदेश बॉयलर चालन इंजीनियर नियम 1968 के अन्तर्गत परीक्षाओं का आयोजन कर योग्यताधारी उम्मीदवारों को प्रमाण–पत्र प्रदान करना ।

सामान्य जानकारी :–

1. राज्य में स्थित उद्योगों में स्थापित बॉयलरों का निरीक्षण कर वैधता प्रमाण–पत्र जारी कर राज्य के उद्योगों में बॉयलर संबंधी दुर्घटनाओं को नियंत्रित करना ताकि उद्योगों में होने वाली जन धन की हानि को रोका जा सके एवं दक्षतापूर्ण बॉयलरों का उपयोग ।

2. राज्य में स्थापित होने वाले नवीन बॉयलरों का पंजीयन करना

3. राज्य में होने वाली बॉयलर संबंधी दुर्घटनाओं की जॉच करना।

4. राज्य में निर्माण होने वाले बॉयलरों का तकनीकी परीक्षण एवं निर्माण के दौरान निरीक्षण ।

5. राज्य से अन्य राज्यों में स्थानांतरित होने वाले व राज्य में अन्य राज्यों से स्थानांतरित हुए बॉयलरों का रिकार्ड रखना ।

6. बॉयलर एवं स्टीम लाईन के विभिन्न प्रेशर पार्टस की डिजाईन ड्राइंग का परीक्षण एवं निरीक्षण ।

7. स्टीम पाईप लाईन के मानचित्र का अनुमोदन एवं निरीक्षण ।

महत्वपूर्ण सॉख्यिकी :– प्रतिवेदित अवधि में दिनांक 1.1.10 से 31.12.10 तक बॉयलर संचालनालय द्वारा किये गये बॉयलर निरीक्षण का समस्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

1	बॉयलर्स जिनका सम्पूर्ण निरीक्षण किया गया	–	440
2	बॉयलर्स जिनका वाष्पभार निरीक्षण किया गया	–	33
3	बॉयलर्स जिनके प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण किया गया	–	400
4	बॉयलर्स जिनको अन्तःकालीन प्रमाण–पत्र दिये गये	–	88
5	इकोनामाइजर्स जिनका सम्पूर्ण निरीक्षण किया गया	–	11
6	इकोनामाइजर्स जिनके प्रमाण–पत्र जारी किये गये	–	07
7	इकोनामाइजर्स जिनके अंतःकालीन प्रमाण–पत्र जारी किये गये	–	04
8	बॉयलर्स जिनको कम अवधि के प्रमाण–पत्र दिये गये	–	0
9	बॉयलर्स जिनका वाष्पभार कम किया गया	–	04
10	बॉयलर्स जिनके लिये दुरूस्ति के आदेश दिये गये	–	07

11	बॉयलर्स जो मध्यप्रदेश से अन्य राज्यों को स्थानांतरित हुए	–	03
12	बॉयलर्स जो मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों से स्थानांतरित हुए	–	11
13	दुर्घटना संबंधी रिपोर्ट जिसकी जांच की गई	–	04
14	नवीन बॉयलर्स पंजीकरण	–	43
15	नवीन इकोनामाइजर्स पंजीकरण	–	03
16	जारी वेल्डर्स प्रमाण–पत्र	–	12
17	वेल्डर्स प्रमाण–पत्र पृष्ठांकन संख्या	–	80

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

(अ). निगम की संरचना :–

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम का पंजीकरण कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शासकीय कम्पनी के रूप में दिनांक 28 दिसम्बर, 1961 को किया गया था । वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूंजी रू. 500.00 लाख है एवं इसके विरूद्ध प्रदत्त अंशपूंजी रू. 282.75 लाख है । प्रदत्त अंशपूंजी में रू. 267.75 लाख राज्य शासन द्वारा तथा रू. 15.00 लाख विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत शासन द्वारा निगम में वेष्ठित हैं। शासन आदेश के अनुरूप निगम द्वारा रू. 282.75 लाख में से रू. 72.45 लाख का निवेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, जो कि निगम की सहायक कम्पनी है, की अंशपूंजी में किया गया है ।

(ब). निगम के मुख्य उद्देश्य :–

1. लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करना तथा शासकीय/अर्ध शासकीय विभागों/उपक्रमों को उचित गुणवत्ता की सामग्री का प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर प्रदाय करवाना ।
2. कच्चे माल की आपूर्ति ।
3. प्रदेश के हस्तशिल्पियों, हाथकरघा एवं लघु उद्योग इकाईयों को मृगनयनी म.प्र. एम्पोरियमों के माध्यम से विपणन सुविधा प्रदान करना ।
4. निर्माण कार्य ।
5. उद्योगों को परीक्षण सुविधाऐं उपलब्ध कराना ।
6. बिजनेस डेव्लपमेंट सेल के अंतर्गत ई–टेंडिरिंग तथा इकाईयों को कोयले का वितरण ।

(स). निगम की गतिविधियॉ :–

निगम द्वारा उपरोक्त उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं :–

(1). विपणन गतिविधि :–

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित भंडार क्रय नियमों में प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को बढ़ावा देने की दृष्टि से कुल 149 वस्तुएं निगम के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित की गई हैं । म.प्र.लघु उद्योग निगम द्वारा शासकीय क्रय में विशेषज्ञता हासिल कर ली गई है, इसलिए शासकीय विभाग/अर्ध शासकीय संस्थाएं निगम के माध्यम से न केवल आरक्षित वस्तुएं बल्कि अनारक्षित वस्तुओं का क्रय भी करती हैं । इस प्रकार म.प्र. लघु उद्योग निगम जहां एक ओर मध्यप्रदेश शासन के विभागों एवं अर्ध शासकीय

संस्थाओं को उचित गुणवत्ता की सामग्री का प्रदाय प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर करवाता है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के लघु उद्योगों के उत्पादों के विपणन कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है ।

निगम द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु वस्तुओं का प्रदाय पूर्व निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाता है । निगम विश्व बैंक परियोजना हेतु भी क्रय एजेन्सी के रूप में कार्य करता है । निगम द्वारा इन परियोजनाओं के अंतर्गत तकनीकी संचालनालय, स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को विश्व बैंक सहायतित परियोजनाओं के अंतर्गत सामग्री का प्रदाय कराया गया है । निगम द्वारा विपणन गतिविधि को विकेन्द्रित करने के उद्देश्य से इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में क्षेत्रीय विपणन कार्यालयों की स्थापना की गई है । इन कार्यालयों के माध्यम से निगम प्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थापित लघु उद्योगों को त्वरित विपणन सहायता प्रदान करने में सफल रहा है । वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 671.20 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 453.16 करोड़ का व्यवसाय हुआ है । माह दिसम्बर 2010 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत आनुपातिक लक्ष्य रू. 344.80 करोड़ के समक्ष रू. 313.84 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को विपणन सहायता :–

भण्डार क्रय नियमों के अनुसार शासकीय क्रय में अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों एवं प्रदायकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हे क्रय आदेशों में से 30 प्रतिशत की मात्रा के आदेश दिये जाने का प्रावधान रखा गया है । माह दिसम्बर 2010 के अन्त तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की 36 इकाईयों को रू. 14.53 करोड़ की विपणन सहायता प्रदान की गई ।

(2) एम्पोरियम गतिविधि :–

निगम द्वारा इस गतिविधि के अंतर्गत प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर एम्पोरियमों का संचालन करके प्रदेश के बुनकरों, हस्तशिल्पियों एवं लघु उद्योगों के विभिन्न उत्पादों हेतु ''शो विंडो'' प्रदान की जाकर इनके उत्पादों का विक्रय किया जाता है । वर्तमान में निगम द्वारा प्रदेश में भोपाल, इंदौर,ग्वालियर, जबलपुर एवं रींवा में तथा प्रदेश के बाहर नई दिल्ली, जयपुर, उदयपुर एवं कोलकाता में एम्पोरियमों का संचालन किया जा रहा है। निगम के एम्पोरियमों द्वारा समय–समय पर प्रदर्शनी/सेल आयोजित करके बुनकरों एवं शिल्पियों के उत्पादों का विक्रय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है । साथ ही निगम द्वारा देश एवं विदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित ट्रेड फेयर एवं प्रदर्शनियों में भाग भी लिया जाता है । वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 40.00 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 42.86 करोड़ का व्यवसाय हुआ है । माह दिसम्बर 2010 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत आनुपातिक लक्ष्य रू. 32.28 करोड़ के समक्ष रू. 51.26 करोड़ का व्यवसाय हुआ है ।

अ. <u>मेला प्रदर्शनी का आयोजन</u> :–

निगम द्वारा एम्पोरियमों की इस श्रृखला में हस्तशिल्पियों एवं हाथकरघा के उत्पादों को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाकर तथा राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी एवं शिल्प बाजारों का आयोजन कर प्रदेश की कला को प्रदर्शित किया जाता है। इससे प्रदेश के हाथकरघा एवं हस्तशिल्प की पहचान एवं इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों को एक समग्र बाजार विपणन हेतु प्राप्त होता है । निगम द्वारा प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाले अन्तराष्ट्रीय व्यापार मेंले में मध्य प्रदेश के मण्डप का निर्माण कर संचालन किया जाता है।

ब. <u>विशेष परियोजना</u> :–

निगम द्वारा अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना को प्रदेश के चुने हुए जिलों में लागू किया गया है। प्रदेश के हस्तशिल्प उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निगम द्वारा कपड़ा, ज्वेलरी एवं कालीन एक्सपोर्ट काउंसिल व देश की अन्य एक्सपोर्ट काउंसिलों में पंजीयन कराया गया है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार बढ़ाने हेतु निगम द्वारा वेबसाईट का भी निर्माण किया गया है।

- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अनुरूप मध्यप्रदेश के हेण्डलूम एवं हैण्डीक्राफ्ट सामग्री के विक्रय हेतु प्रदेश के ''नेशनल पार्क'' क्रमशः कान्हा, बांधवगढ़ एवं पेंच में ''सोविनियर शॉप'' तथा म. प्र. पर्यटन विकास निगम के प्रमुख होटल्स क्रमशः पचमढ़ी एवं ओरछा में ''डिस्प्ले विण्डो–सह–विक्रय काउंटर'' खोले गये है ।
- वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह नवम्बर तक विकास आयुक्त(हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से जर्मनी में सम्पन्न विदेशी मेलों में भाग लिया गया ।

3. **कच्चा माल गतिविधि :–**

निगम द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को कच्चे माल का प्रदाय किया जा रहा है। भारत सरकार की उदारीकरण की नीति, कच्चे माल पर से मूल्य नियंत्रण हटाए जाने, मुख्य उत्पादनकर्ताओं द्वारा इकाईयों को सीधे माल प्रदाय किये जाने, निजी क्षेत्र के उत्पाद बाजार में सस्ते दामों एवं उधारी पर उपलब्ध होने तथा निगम की प्रतिस्पर्धा में निजी वितरक नियुक्त होने आदि कई कारणों से कच्चा माल वितरण के व्यवसाय को चला पाना ही अपने आप में एक चुनौती है । फिर भी इस गतिविधि के अंतर्गत निगम द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को लौह, इस्पात, ब्रास स्क्रेप आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है । कच्चा माल विभाग द्वारा निर्माण सामग्री के नये क्षेत्र में सीमेंट एवं टार स्टील के लिये अखिल भारतीय/राज्य स्तरीय निविदा आमंत्रित कर दर निर्धारण की कार्यवाही प्रत्येक तीन माह में की जाकर, उत्पादनकर्ता/डीलर एजेंट से अनुबंध के उपरांत, शासकीय विभागों में सामग्री प्रदाय करवाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त कच्चा माल विभाग द्वारा विपणन का कार्य भी किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 233.10 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 207.54 करोड़ का व्यवसाय हुआ है । माह दिसम्बर 2010 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत आनुपातिक लक्ष्य रू. 127.00 करोड़ के समक्ष रू. 130.77 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

4. **सम्पदा एवं निर्माण गतिविधि :–**

निगम की स्थापना के समय शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिकरण को बढाने के उद्देश्य से निगम को प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण तथा रख–रखाव का कार्य सौपा गया था, जिसका निगम द्वारा पूर्ण निष्ठा से निर्वहन किया गया । कालांतर में सरकार द्वारा यह कार्य अन्य सरकारी संस्थाओं को सौंपा गया । वर्तमान में निगम द्वारा राज्य शासन के अन्य विभागों जिसमें अनुसूचित जनजाति विकास विभाग/ अनुसूचित जाति विकास विभाग/ स्कूल शिक्षा विभाग/स्वास्थय विभाग एवं केन्द्र शासन की केन्द्रीय नवोदय विद्यालय समिति सम्मिलित है, के निर्माण कार्य हाथ में लिये जाकर इस गतिविधि को संचालित किया जा रहा है । निगम द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के निर्माण कार्य मध्यप्रदेश के साथ ही

छत्तीसगढ़ राज्य में भी निष्पादित किये जा रहे हैं । इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में संपदा एवं निर्माण विभाग का एक संभागीय कार्यालय रायपुर में भी कार्यरत है ।

राज्य शासन द्वारा भोपाल में निजि सहभागिता से विकसित की जा रही प्रस्तावित कन्वेशन सह ट्रेड सेंटर परियोजना की स्थापना हेतु भी लघु उद्योग निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है । इस परियोजना के क्रियान्वयन के समस्त कार्य लघु उद्योग निगम में संपदा/निर्माण गतिविधि के अंतर्गत की किये जा रहे हैं। इस तरह से यह गतिविधि निगम के लिये एक आवश्यक गतिविधि है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 98.00 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 105.09 करोड़ का व्यवसाय हुआ है । माह दिसम्बर 2010 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत आनुपातिक लक्ष्य रू. 75.65 करोड़ के समक्ष रू. 86.13 करोड़ के निर्माण कार्य सम्पादित किये गये है।

5. तकनीकी गतिविधि :–

निगम के तकनीकी विभाग द्वारा शासकीय विभागों को प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं के स्पेसिफिकेशन का निर्धारण तथा प्रदाय पूर्व सामग्रियों का निरीक्षण कर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है । सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु ''टू बिड'' प्रक्रिया के अंतर्गत आमंत्रित निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन एवं उत्पादों के लागत अनुमान तैयार किये जाते है। निगम से सामग्री प्रदाय हेतु अनुबंध करने वाली इकाईयों की संभाव्यता अध्ययन का कार्य भी तकनीकी विभाग द्वारा किया जाता है ।

निगम के तकनीकी विभाग द्वारा इन्दौर एवं जबलपुर में परीक्षण प्रयोगशालाए संचालित की जा रही है, जिनके अंतर्गत लघु उद्यमियों के उत्पादों का परीक्षण उचित दरों पर किया जाता है तथा परीक्षण संबंधी प्रशिक्षण भी कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है । निगम की इन्दौर परीक्षण प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे एन.ए.बी.एल. (नेशनल एक्रेडेशन बोर्ड आफ लेबोरेटरीज), बी.आईएस.(भारतीय मानक ब्यूरो), डी.जी.एस.एन्ड डी. (भारत सरकार पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय) आदि से मान्यता प्राप्त है। परीक्षण प्रयोगशाला जबलपुर ने आई.एस.ओ. 9001 एवं एन.ए.बी. एल. की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ये प्रयोगशालाऐं निर्माण सामग्रियों, खाद्य तत्वों तथा औषधियों की जांच के लिए सभी सुविधाओं से सम्पन्न है। ये प्रयोगशालायें सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों के लिए प्रमाणीकरण एजेंसी के रूप में कार्य करती है तथा लघु उद्योगों को उनके उत्पादों को विकसित करने तथा उसके पुनर्डिजाईन हेतु भी सेवायें उपलब्ध कराती हैं। वर्ष 2007–08 में भारत सरकार की 50 प्रतिशत ग्रान्ट–इन–एड योजनान्तर्गत दोनों प्रयोगशालाओं में लगभग रूपये 65.00 लाख की लागत से अत्याधुनिक परीक्षण उपकरणों का क्रय किया जाकर, सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया है । वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 0.75 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 0.62 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। माह दिसम्बर 2010 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत आनुपातिक लक्ष्य रू. 0.60 करोड़ के समक्ष रू. 0.62 करोड़ का परीक्षण शुल्क प्राप्त किया है।

6. बिजनेस डेव्हलपमेंट सेल :–

निगम में वर्ष 2005 में बिजनेस डेव्हलपमेंट सेल का गठन किया गया है। म.प्र. लघु उद्योग निगम को मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में कोल हेतु एजेंसी नियुक्त किया गया है ।

बिजनेस डेव्हलपमेंट सेल द्वारा म.प्र. लघु उद्योग निगम के ई–टेण्डरिंग का विकास किया गया जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2006 को किया गया था । मध्यप्रदेश राज्य में निगम ई–टेण्डरिंग को प्रारंभ करने वाली प्रथम संस्था है । वर्तमान में इसके माध्यम से माह दिसम्बर 2009 तक 3824 निविदाकर्ता अपनी निविदाएं निगम में प्रस्तुत कर चुके हैं तथा इस पोर्टल का एसटीक्यूसी (स्टेन्डर्डराईजेशन टेस्टिंग क्वालिटी सर्टीफिकेट) भारत शासन के आई.टी. डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त लघु तथा कुटीर उद्योगों को कोयले के वितरण का कार्य भी इस गतिविधि के अंतर्गत किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 13–3/05/अ–ग्यारह दिनांक 4/7/08 के द्वारा प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से कोल वितरण हेतु प्रकिया एवं नीति लागू की गई है, जिसका पालन करते हुए प्रदेश की इकाईयों को कोल का वितरण किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 50.00 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 64.88 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। माह दिसम्बर 2010 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत आनुपातिक लक्ष्य रू. 47.00 करोड़ के समक्ष रू. 55.04 करोड़ का व्यवसाय किया है ।

7. वित्तीय परफारमेन्स :–

निगम की विगत पांच वर्षो की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :–

(रू. लाखों में)

क्र.	वर्ष	कुल व्यवसाय	+लाभ/–हानि
1.	2005–06	58319.89	(+) 499.46 (कर पश्चात्)
2	2006–07	67561.18	(+) 595.17 (कर पश्चात्)
3	2007–08	116768.57	(+) 965.89 (कर पश्चात्)
4	2008–09	106174.12	(+) 877.96 (कर पश्चात्)
5.	2009–10	87447.95	(+) 928.12 (कर पश्चात्)
6.	2010–11 (माह दिसम्बर,10 तक)	63766.21	(+) 1356.00 (कर पश्चात्) (मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार)

निगम द्वारा वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर अन्त तक रू. 627.33 करोड़ के आनुपातिक लक्ष्य के समक्ष रू. 637.66 करोड़ का व्यवसाय कर लगभग रू. 13.57 करोड़ का अनुमानित कर पश्चात लाभ अर्जित किया गया है ।

दिनांक 31/3/2009 की स्थिति में निगम का संचित लाभ रू. 4666.60 लाख है ।

निगम के वर्ष 2008–09 के लेखें विधानसभा पटल पर रखे जा चुके हैं । वर्ष 2009–10 के लेखों का सांविधिक अंकेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., (एम.पी.एस.आई.डी.सी.) का गठन 13 सितंबर 1965 को हुआ था । निगम की प्राधिकृत पूंजी 85.00 करोड़ रूपये एवं प्रदत्त पूंजी 81.09 करोड़ रूपये की है जो कि पूर्णतः शासन में वेष्ठित है । निगम का ध्येय प्रदेश में स्थापित होने वाले वृहद तथा मध्यम प्रमाप की इकाईयों को विभिन्न प्रकार की सहायता कर प्रदेश के औद्योगिकरण की गति को तेज करना है ताकि मध्यप्रदेश देश के औद्योगिकरण परिदृश्य पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बना सके।

उद्देश्य :–

1. शासन के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मूर्त रूप देने में अपना सहयोग देना।
2. बड़े तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु सहयोग करना ।
3. सहायक कंपनियों के माध्यम से चुने हुए विकास केन्द्रो में अधोसंरचना का विकास करना ।
4. उद्यमियों को विशिष्ट सलाह देने के उद्देश्य से डाटा बेस तैयार करना तथा आवश्यक विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराना ।
5. विभिन्न उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु विभिन्न अनुमतियों/सुविधाओ को एक स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकल ऐजन्सी प्रणाली करना ।
6. निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रदेश में अधोसंरचना का विकास करना ।
7. अधोसंरचना विकास हेतु विशिष्ट फंड केन्द्र/ राज्य सरकार अथवा निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थापित करना ।
8. निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से उन्हे प्रशिक्षित तथा प्रोत्साहित करना ।

निगम प्रदेश में वृहद एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित तथा प्रदेश में उद्योगो के लिये बुनियादी सुविधाओं के विकास का कार्य करता है । इस निगम की पांच सहायक कंपनिया यथा – मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम मर्यादित के नाम से गठित है, जिनके मुख्यालय क्रमशः इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा है ।

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड

म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) मर्यादित, इन्दौर का गठन 16 नवम्बर 1981 को म.प्र. शासन द्वारा कपंनी अधिनियम 1956 के प्रावधान के अन्तर्गत किया गया। निगम की कुल अधिकृत अंशपूंजी रू. 500.00 करोड है जिसमें से प्रदत्त अंशपूंजी रू. 1,65,00,000/– है जो रू. 100/– के अंशों के रूप में विभाजित होकर 1,65,000 अंशों में है। प्रदत्त अंश पूॅजी में से रू.1,64,98,900/– के 1,64,989 अंश मध्य प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन के नाम है रू. 1,100 के 11 अंश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन के नामांकितों के रूप में है।

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) मर्यादित, भोपाल का गठन 16 अक्टूबर 1987 को शासन द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया । निगम की कुल अधिकृत अंश पूंजी 2.00 करोड़ रूपये हैं, जिसमें से प्रदत्त अंश पूंजी रूपये 1,35,01,10/– है, जो रू. 100 के अंशों के रूप में विभाजित होकर रूपये 1,35,011 अंश है । प्रदत्त अंश पूंजी में से रूपये 1,35,00,000/– को रूपये 1,35,000 अंश मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के नाम से है एवं शेष रूपये 1,100 के 11 अंश मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के नामंकितों के रूप में है ।

वर्तमान में निगम के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित चार विकास केन्द्र कार्यरत है ।

1. मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र
2. पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र
3. मण्डीदीप फेस–2 विकास केन्द्र
4. फूडपार्क बाबई – पिपरिया

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड

म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड, जबलपुर का गठन दिनांक 16.11.1981 को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में किया गया है। यह निगम एम.पी. स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल (पूर्व नाम मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम) की सहायक कंपनी है । निगम का गठन जबलपुर परिक्षेत्र में औद्योगिक केन्द्रों के विकास, संधारण एवं संचालन के लिये किया गया है ।

म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड, जबलपुर की अधिकृत अंश पूँजी रूपये 3,00,00,000.00 तथा प्रदत्त अंशपूँजी रूपये 1,33,12,100.00 है जो रूपये 100.00 प्रत्येक के 1,33,121.00 समता अंशों में विभक्त है। निगम की प्रदत्त पूँजी रूपये 1,33,12,100.00 में से रूपये 1,33,11,00.00 की अंशपूँजी (रूपये 100.00 प्रत्येक के 1,33,110.00 समता अंश) निगम की पैतृक कंपनी मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हेलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. भोपाल द्वारा धारित है।

निगम द्वारा दो विकास केन्द्र क्रमशः मनेरी, (जिला मंडला), बोरगांव (जिला छिंदवाड़ा) विकसित किये गये हैं । विकासशील परियोजनाओं में औद्योगिक क्षेत्र हरगढ़, मिनरल तथा मिनरल बेस्ड एसईजेड हरगढ़, जिला जबलपुर, औद्योगिक क्षेत्र लमतरा, जिला कटनी, औद्योगिक क्षेत्र उमरिया–डुंगरिया, जिला जबलपुर, पॉवर लूम क्लस्टर हैं। निगम द्वारा भारत सरकार की एमएसई–सीडीपी योजना के तहत उमरिया–डुंगरिया, जिला जबलपुर, औद्योगिक क्षेत्र भुरकलखापा, जिला सिवनी, औद्योगिक क्षेत्र लहगडुआ, जिला छिंदवाड़ा एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों हेतु औद्योगिक क्षेत्र अमकुही, जिला कटनी के प्रस्ताव तैयार कर भेजे गये हैं। इसके अतिरिक्त विकास केन्द्र बोरगांव तथा मनेरी में फूड पार्कों का विकास भी पूर्ण किया गया है ।

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड

म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) मर्या, रीवा का गठन दिनांक 16.11.1981 को भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक कम्पनी के रूप में किया गया है। यह निगम एम.पी.स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल की सहायक कम्पनी है। निगम का गठन रीवा परिक्षेत्र में औद्योगिक केन्द्रों के विकास, संधारण एवं संचालन के लिये किया गया है।

निगम द्वारा विकास केन्द्र के रूप में क्रमशः उद्योग विहार रीवा, उद्योग द्वीप बैढ़न जिला सिंगरौली, उद्योग गिरि पुरैना जिला पन्ना, विकसित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र बरगवां जिला सिंगरौली तथा औद्योगिक क्षेत्र मैहर जिला सतना में औद्योगिक अधोसंरचना का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड

म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड, उज्जैन का गठन 02 सितम्बर 2008 को किया गया । निगम की कुल अधिकृत अंशपूंजी रू. 10.00 करोड़ है जिसमें से प्रदत्त अंशपूंजी रू. 10,00,00,000/– है जो रू. 1,000/– के अंशों के रूप में विभाजित होकर 1,00,000 अंशों में है। प्रदत्त

अंश पूँजी में से रू. 9,90,00,000/— के 99,000 अंश मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसेलिटेशन कार्पोरेशन लि. (एम पी ट्रायफेक) भोपाल के नाम है तथा रू. 1,00,000/— के 1,000 अंश प्रर्वतकों/संचालकों के रूप में है।

म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड, उज्जैन कार्यालय का विधिवत शुभारंभ दिनांक 24 सितम्बर 2008 को किया गया। निगम का कार्यालय वर्तमान में नानाखेडा बस स्टेण्ड परिसर, इन्दौर रोड, उज्जैन में कार्यरत है।

<u>इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (ग्वा.) म.प्र. लिमिटेड</u>

इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोरेशन (ग्वालियर) म.प्र. लिमिटेड (पूर्व नाम म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (ग्वा) लिमिटेड), ग्वालियर का गठन 28 मई, 1985 को भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन लि., (पूर्व नाम म.प्र. औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड), भोपाल की 'सबसीडियरी' कम्पनी के रूप में हुआ । इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोरेशन (ग्वालियर) म.प्र. लिमिटेड का गठन अपने क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक केन्द्रों के विकास, संधारण एवं संचालन कार्यों के लिये किया गया है ।

निगम क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत औद्योगिक विकास केन्द्र एवं विशिष्ट परियोजनायें—

औद्योगिक विकास केन्द्र	**आई.आई.डी. परियोजनाएं**	**अन्य विशिष्ट परियोजनाएं**
मालनपुर, जिला भिण्ड	प्रतापपुरा जिला टीकमगढ़	फूड पार्क मालनपुर – घिरोंगी, जिला भिण्ड
घिरोंगी, जिला भिण्ड	नौगांव (बीना) जिला सागर	स्टोन पार्क, जिला ग्वालियर
बानमोर, जिला मुरैना	जडेरूआ जिला मुरैना	
चैनपुरा, जिला गुना	नादनटोला जिला सतना	
प्रतापपुरा, जिला टीकमगढ़		
सिद्धगंवा, जिला सागर		

मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो. लिमिटेड

मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना 14 फरवरी 1977 को राज्य शासन द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 1956 के अन्तर्गत शासकीय कम्पनी के रूप में की गई थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूँजी व प्रदत्त अंशपूँजी क्रमशः 200 लाख व रूपये 80.25 लाख है। संपूर्ण प्रदत्त अंशपूँजी राज्य शासन द्वारा वेष्ठित हैं।

राज्य शासन द्वारा घोषित "औद्योगिक संवर्धन नीति–2004 एवं कार्ययोजना" की कंडिका क्रमांक 4.1.1.2 के परिप्रेक्ष्य में निवेश को प्रात्साहित देने के लिये मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के परिवर्तित स्वरूप में की गई है।

औद्योगिक अधोसंरचना के त्वरित विकास एवं दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर परियोजना के संदर्भ में कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले जिलों में औद्योगिक निवेश को बढ़वा देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा ट्रायफेक की सहायक कम्पनी के रूप में म.प्र. औद्योगिक केन्द विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड का गठन 02.09.2008 में किया गया। प्रदेश में डीएमआईसी परियोजना हेतु राज्य शासन द्वारा ट्रायफेक को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। ट्रायफेक में पृथक से डीएमआईसी सेल की स्थापना की गई है।

व्यवसाय/गतिविधियाँ :–

निगम द्वारा निम्नलिखित सेवाएं इकाईयों/निवेशकों को उपलब्ध कराई जा रही है :–

- प्रदेश में बड़े उद्योगों विदेशी पूँजी निवेशकों एवं अप्रवासी भारतीयों द्वारा अधोसंरचना, औद्योगिक एवं अन्य निवेश को आकर्षित करने तथा उनके प्रस्तावों को प्रक्रिया के अधीन तुरन्त स्वीकृतियाँ प्राप्त करने में आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- प्रदेश की निर्यातक इकाईयों को निर्यात से संबंधित जानकारी एवं मार्गदर्शन।
- निर्यातकों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रतिनिधित्व/भागीदारी। दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर परियोजना क्षेत्र में विश्वस्तरीय अधोसंरचना का विकास व क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास।

उपलब्धिया :–

- मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। इस समिति का गठन 22 जून 2004 को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 19–130/2004/1/4 द्वारा किया

गया। इस समिति द्वारा अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2010 तक रूपये 7914.00 करोड़ की 26 परियोजनाओं हेतु क्लियरेंस एवं कस्टमाईज्ड पैकेज स्वीकृत किये गये है।

- सिंगल टेबल क्लियरेंस की अवधरणा के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड का गठन किया है, इस बोर्ड की अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2010 तक 2 बैठकें आयोजित की गई, जिसमें रूपये 195.00 करोड़ की एक औद्योगिक परियोजना तथा लघु जल विद्युत उत्पादन की कुल 17 परियोजनाओं के निवेश प्रस्तावों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–।। के अन्तर्गत मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए वर्ष 2010 तक देश में भोपाल, लुधियाना, कलकत्ता तथा खजुराहो में निवेश संभावनाओं की जानकारी दी गई।
- माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल द्वारा डेसिटनेशन मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–।। कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 11 जून से 23 जून,2010 तक नीदरलैण्ड, इटली एवं जर्मनी में रोड शो एवं इन्ट्रेक्टिव सेशन आयोजित किये गये।
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–।। के अन्तर्गत खजुराहों में आयोजित कार्यक्रम दिनांक 22 एव 23 अक्टूबर, 2010 को रूपये 98867.00 करोड़ पूंजी निवेश की 74 परियोजनाओं के एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये है। इस अवसर पर उर्जा क्षेत्र की 22 परियोजनाए रूपए 141550.00 करोड़ की पूॅजी निवेश हेतु एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 7 परियोजनाए रूपए 534.00 करोड़, स्वास्थ्य की 2 परियोजनाए रूपए 400.00 करोड़, नवीन नवकरणीय उर्जा की 4 परियोजनाए रूपए 1200.00 करोड़ व खनिज संसाधन विभाग की 1 परियोजना रूपए 2300.00 करोड़, इस प्रकार कुल 110 परियोजनाए हेतु रूपए 2.44 लाख करोड़ के एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किए गए है।
- आलोच्य अवधि वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के अंतर्गत 42 पंजीयन किये गये। योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 में 17 प्रकरणों में राशि रूपये 7.74 करोड़ वितरित की गई है।
- दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में प्रथम इन्वेस्टमेंट नोड–पीथमपुर–धार–महू इन्वेस्टमेंट रीजन के विकास हेतु कार्यवाही प्रारंभ की गई है। उक्त इन्वेस्टमेंट रीजन डेव्हलपमेंट प्लान का अनुमोदन साधिकार समिति द्वारा किया गया है।

- पीथमपुर–धार–महू इन्वेस्टमेंट रीजन में क्रियान्वित होने वाली अर्ली बर्ड परियोजनाओं –नॉलेज सिटी, उज्जैन, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब, पीथमपुर, जल प्रदाय योजना, पीथमपुर, इकॉनामिक कॉरिडोर (इन्दौर एयरपोर्ट–पीथमपुर) के अतिरिक्त ग्रीनफील्ड इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के प्रथम चरण के अधीन पीथमपुर–पेटमा इण्डस्ट्रियल एरिया के लिए चिन्हित निजी भूमि के अर्जन एवं शासकीय भूमि के हस्तांतरण हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। राज्य शासन के निर्णयानुसार निजी भूमि के अर्जन हेतु राशि की व्यवस्था के लिए ट्रायफेक द्वारा हुडको से ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
- रतलाम–नागदा इन्वेस्टमेंट रीजन का डेव्हलपमेंट प्लान व चिन्हित अर्ली बर्ड परियोजनाओं की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कन्सल्टेंट की नियुक्ति की जा चुकी है। उक्त कार्यवाही जुलाई, 2011 तक पूर्ण हो जाना संभावित है।
- प्रदेश में डीएमआईसी परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति सुगम बनाने के उद्देश्य से डीएमआईसी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली द्वारा चैनपुरा जिला गुना में गैस आधारित 1000 मेगावॉट क्षमता के विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है। उक्त संयंत्र के लिए आवश्यक भूमि इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. ग्वालियर द्वारा आवंटित की गई है।

निगम की वित्तीय स्थिति :–

1.	प्रदत्त पूँजी	–	रू. 80.25 लाख (समस्त पूंजी राज्य शासन द्वारा वेष्ठित है।)
2.	अधिकृत पूंजी	–	रू. 200 लाख
3.	ऋण	–	रू. 0.00
4.	ऋण इक्विटी अनुपात	–	0.00:1
5.	संचित कोष	–	रू. 700.30 लाख प्रावधिक (31 मार्च 2010 की स्थिति में प्रावधिक)

लेखा अंकेक्षण की स्थिति :–

वित्तीय वर्ष 2009–10 के खातों का सावधिक अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है व 2008–09 के लेखे मुद्रित हो चुके है व विधान सभा पटल पर रखें जाने हेतु तैयार हैं।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14011–इक्कीस–अ (प्रा) दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 के द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला के बेहतर प्रबन्धन तथा नियंत्रण के लिये 'ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, 1996' प्रभावशील हुआ। इसके प्रावधान के अनुसार, मेला संचालन व नियंत्रण के लिये, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण निकाय गठित किया गया।

आवश्यकतानुसार समय–समय पर प्राधिकरण की बैठकें आयोजित की जातीं हैं। प्राधिकरण के निर्णयों और संकल्पों के अध्ययधीन, मेला संचालन व उस पर नियंत्रण से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को अध्यक्ष समन्वित करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। उपाध्यक्ष, उनकी अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन करते हैं। सचिव (शासकीय प्रतिनिधि) कार्यालय और अध्यक्ष/प्राधिकरण के बीच की प्रमुख कड़ी है। जो मेला आयोजन के प्रत्येक स्तर से लेकर कार्यालय तक, पर प्रशासकीय व आर्थिक नियंत्रण के लिये तथा प्राधिकरण व अध्यक्ष के आदेशों/निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी हैं।

मेला प्राधिकरण स्वतः एक विशुद्ध व्यापारिक निकाय है। इसके अधीन कोई कार्यालय या संस्था नहीं है।

उद्देश्य :–

क्षेत्र के उत्पादों के आयात–निर्यात को तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उत्पादों के प्रचार–प्रसार की इस व्यापार मेला में प्रचुर संभावनाऐं हैं। वर्ष 1905 से स्थापित इस मेले ने व्यापार–जगत में देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बनाई है।

मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड

मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन 22 जून 2004 को किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2005 से इसे पुनगर्ठित किया गया हैं। इसके उद्देश्य निम्नानुसार हैंः–

1. मध्यप्रदेश के समग्र मानव संसाधन विकास को प्राप्त करने के लिये स्वरोजगार आधारित आर्थिक विकास का प्रादर्श विकसित करना।

2. प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिये उपलब्ध स्थानीय संसाधनों एवं मांग पर आधारित एकीकृत रोजगारोन्मुखी विकास योजना तैयार करना।

3. प्रदेश में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर सृजित करने वाली सभी योजनाओं के परस्पर समन्वय के अभाव में योजनाओं में होने वाले विरोधाभास को समाप्त करना ।

4. प्रदेश में उन्नत तकनीकी ज्ञान को फैलाने तथा उसके रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु टेक्नालॉजी ट्रांसफर (प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण) केन्द्रों की स्थापना करना।

5. रोजगार के अवसरों का सृजन एवं बढ़ावा देने के लिये उन्नत तकनीकी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना।

6. स्वरोजगार में कार्यरत संगठित क्षेत्र के उघमियों के उत्पादों की विपणन की समुचित व्यवस्था करना एवं इस कार्य में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु वातावरण का निर्माण।

7. असंगठित क्षेत्र के उद्यमियों के लिये पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु संसाधनों का निर्माण एवं व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से आसान तरीकों से ऋण उपलब्ध करवाना।

8. उत्पादों तथा कौशल के प्रमाणीकरण के लिये व्यवस्था स्थापित करना साथ ही साथ गिल्ड्स की स्थापना, रजिस्ट्रेशन एवं नियंत्रण संबंधी नियम को बनाना एवं प्रशासित करना।

9. जिलो के लिए चयनित उत्पादों के उत्पादन हेतु फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेस तथा मूलभूत अद्योसंरचना का निर्माण करना।

10. मध्यप्रदेश राज्य व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद के साथ समन्वय स्थापित करना।

11. रोजगार निर्माण के संबंध में चलाई जा रही राज्य शासन की विभिन्न विभागों की योजनाओं या अन्य योजनाएँ जिनका रोजगार पर असर पड़ता है या संशोधित रूप में पड़ सकता है को प्रभावी बनाने के लिए दिशा–निर्देश जारी किये जाना। विभागों के लिए समय–सीमा और लक्ष्य निर्धारित किये जाना।

मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड

मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना 11.04.1961 को हुई थी। वर्तमान में इसकी अधिकृत अंशपूंजी रुपये 2500 लाख है, जिसके अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा रुपये 1511.67 लाख की पूंजी उपलब्ध कराई गई थी। निगम में दिनांक 31/3/2010 तक प्राविधिक लेखों के आधार पर रुपये 5108.04 लाख की संचित हानि हो चुकी है।

यह निगम कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है, अतः इसका समापन कम्पनीज एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत ही किया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम के स्वैच्छिक समापन करने हेतु रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, ग्वालियर द्वारा औपचारिक विधिक कार्यवाही चाही गयी है, जिसके अनुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

1. म.प्र. राज्य वस्त्र निगम की स्थापना अक्टूबर 1970 में प्रदेश की बीमार कपड़ा मिलों/सूत मिलों के संचालन, हाथकरघा वस्त्रों के उत्पादन तथा विपणन व्यवस्था करनें, हाथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण एवं

उनके कौशल उन्नयन हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियांवयन करने के उद्देश्य से की गई थी।

2. बीमार मिलों के संचालन, भारी हॉनि होने के तथा हाथकरघा वस्त्रों से संबंधित समस्त योजनाओं को अन्य निगम में हस्तांतरित कर दिये जाने के परिणामस्वरूप शासन व्दारा नीतिगत निर्णय लेते हुये दिनांक 31.10.2000 से म.प्र.राज्य वस्त्र निगम को बंद करने के आदेश दिये गये ।

3. दिनांक 25.08.2010 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिये गए निर्णय के अनुसार निगम की समस्त स्थायी सम्पत्तियों को प्रशासकीय विभाग को हस्तांतरित किया जाना है। हस्तांतरण की कार्यवाही की औपचारिक विधिक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही, निगम को परिसमापक की नियुक्ति कर बंद करने का निर्णय लिया है।

निगम कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है। निगम का विधिक समापन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश ट्रेड फेयर अथॉरिटी, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन की उद्योग संवर्द्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक 4.1.5.8 तथा वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13–8/05/अ/ग्यारह दिनांक 12–8–2005 के अनुसार ''औद्योगिक विकास की बढ़ोतरी एवं सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्यिक गतिविधियों में भागीदारी के लिए मध्य प्रदेश ट्रेड फेयर अथारिटी का गठन किया गया है।''

म. प्र. स्टेट ट्रेड फेयर अथारिटी द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में प्रदेश के उद्यमियों को निर्यात के अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों में भाग लिये जाने की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त अथारिटी द्वारा प्रदेश के लघु उद्योग संघों को भी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि के विरूद्ध मेचिंग ग्रांट म.प्र.स्टेट ट्रेड फेयर अथारिटी के मद से उपलब्ध करायी जाती है।

भाग — दो

बजट विहंगावलोकन एवं योजनावार प्रावधान, लक्ष्य, व्यय

उद्योग संचालनालय

वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2010–11 में बजट प्रावधान एवं व्यय
(बजट नियंत्रण अधिकारी– आयुक्त, उद्योग)

(राशि लाख रूपयो में)

क्र	बजट शीर्ष	वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11	
		बजट आवंटन	वर्ष में कुल व्यय	बजट आवंटन	व्यय (दिसम्बर 2010 तक)
	मांग संख्या–11				
	आयोजनेत्तर				
1	राजस्व अनुभाग				
	मतदेय	4739.000	4594.224	5536.741	3908.927
	भारित	4.500	0.030	4.500	0.000
	आयोजना				
2	राजस्व अनुभाग				
	मतदेय	8055.336	8018.998	10017.960	7526.241
3	पूंजी अनुभाग				
	मतदेय	1440.330	1440.250	11995.790	1054.087
	भारित	10.000	0.000	10.000	8.279
	योग आयोजना राजस्व+पूंजी अनुभाग				
	मतदेय	9495.666	9459.248	22013.750	8580.328
	भारित	10.000	0.000	10.000	8.279
	महायोग–मांग संख्या–11–आयोजनेत्तर+आयोजना				
	मतदेय	14234.666	14053.472	26285.340	12497.534
	भारित	14.500	0.030	14.500	8.279
	मांग संख्या–41 आयोजना				
	मतदेय	962.530	952.718	1007.010	707.961
	मांग संख्या–64 आयोजना				
	मतदेय	801.370	800.080	1197.650	1032.584

उद्योग प्रभाग

आयोजनेत्तर

(राशि लाख रूपयो में)

क्रमांक	योजना		वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11	
			बजट आवंटन	वर्ष में कुल व्यय	बजट आवंटन	व्यय (दिसम्बर 2010 तक)
1	2070-2497	पब्लिक कॉल, टेलीफोन, टेलीग्राम कार्यालयों की प्रतिपूर्ति	0.010	0.000	0.010	0.000
2	2851-725	औद्योगिक क्षेत्र में संधारण	421.200	421.199	475.000	45.349
3	2851-1464	जिला उद्योग केन्द्र मतदेय	2168.310 +321.680 2489.990	2550.283	2878.321	2320.774
		जिला उद्योग केन्द्र भारित	2.000	0.030	2.000	0.000
4	2852-3370	मध्यवर्ती कार्यालय मतदेय	575.690 +39.540 615.230	559.502	643.804	267.204
		मध्यवर्ती कार्यालय भारित	2.500	0.000	2.500	0.000
5	2852-5815	परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालयों की स्थापना	258.740 -67.940 190.800	93.600	248.854	119.981
6	2852-8732	इण्डस्ट्रियल फेसिलिटेशन कौंसिल का गठन	1.800	1.194	1.200 +0.001 1.201	0.272

रोजगार प्रभाग

आयोजनेत्तर

(राशि लाख रूपयो में)

क्रमांक	योजना		वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11	
			बजट आवंटन	वर्ष में कुल व्यय	बजट आवंटन	व्यय (दिसम्बर 2010 तक)
1.	2230–3795	रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय	135.090	141.870	200.928	134.947
2.	2230–5911	अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र उज्जैन	2.260	1.960	2.390	2.352
3.	2230–7878	दीनदयाल स्वरोजगार योजना	218.150	202.176	208.906	113.266
4.	2230–9147	रोजगार कार्यालय	609.970 +54.500 664.470	622.440	867.930	583.760

पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं

शासन द्वारा आवंटित बजट में मितव्ययता बरती जाती है कार्यालय के लिये बजट प्रावधान का विगत 05 वर्ष का आवंटन एवं व्ययों की जानकारी निम्नानुसार है:–

बजट वर्ष	आवंटन (लाखो मे)	व्यय (लाखो मे)
2005–2006	103.60	100.17 लाख
2006–2007	144.85	128.39 लाख
2007–2008	155.01	129.84 लाख
2008–2009	192.30	142.14 लाख
2009–2010	227.07	177.01 लाख
2010–2011	248.91	191.52 लाख (दि0 31.12.2010 तक)

इस कार्यालय के अधीन कोई योजना का संचालन नही किए जाने से योजना बजट नही है।

वाष्पयंत्र संचालनालय, मध्यप्रदेश

बॉयलर संचालनालय के अंतर्गत कोई योजना एवं गतिविधि का संचालन नहीं किया जाता है । यह एक पूर्ण आयोजनेत्तर विभाग है। इस कार्यालय को प्राप्त होने वाला बजट पूर्णतः आयोजनेत्तर (Non plan) होता है। अधिकारियों /कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले वेतन भत्तों के अतिरिक्त यात्रा देयक एवं कार्यालय के सामान्य व्यय के अतिरिक्त कोई मद पर व्यय नहीं किया जाता है ।

नवीन वाष्पयंत्रों के पंजीयन शुल्क, निरीक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं फेब्रीकेशन शुल्क संचालनालय की आय के मुख्य स्रोत है। चालू वितीय वर्ष (01.04.10 से 31.12.10 तक) में इस कार्यालय को प्राप्त चालानों के आधार पर आय व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार हैं ।

(रू. लाखों में)

वर्ष	आय	व्यय	बचत
2010–11 (दिस.10 तक)	1,00,50,315	51,47,968	49,02,347

इस निरीक्षकालय द्वारा किसी प्रकार की योजना संचालित नहीं की जाती है । अतः योजनावार बजट निरंक है ।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

निगम द्वारा अपनी गतिविधियों का संचालन स्वयं के स्त्रोतों से ही किया जाता है । निगम द्वारा प्रति वर्ष नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शासन की ओर से भाग लिया जाकर म.प्र. के मण्डप का निर्माण कार्य एवं संचालन किया जाता है । 'भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला **2010** हेतु राज्य शासन द्वारा रू. **100.00** लाख बजट आवंटन प्राप्त हुआ है।

मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

वर्तमान में निगम को उसकी गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य शासन से कोई वित्तीय अनुदान प्राप्त नहीं होता है । निगम द्वारा गतिविधियों का संचालन स्वयं के स्त्रोतों से किया जाता है । तथापि निगम के लेनदारों से कंपनी अधिनियम 1956, की धारा 391 (1) एवं 393 के अधीन व्यवस्थापन एवं समझौते की प्रबंध योजना, (कंपनी के सुरक्षित एवं असुरक्षित लेनदारों से) सचिव–निगमित कामकाज, मंत्रालय (कंपनी मामले) भारत, सरकार नई दिल्ली के समक्ष फाईल जाकर कार्यवाही जारी है ।

माननीय मंत्रालय, ने आवेदक कंपनी (एम.पी.एस.आई.डी.सी.) के सुरक्षित एवं असुरक्षित लेनदारों और 14.4 प्रतिशत बंध पत्र धारक लेनदारों को जो कि योजना के तहत् लेनदारों की श्रेणी में है कि बैठक हेतु न्यायाधीश श्री एस.सी. पांडे (अवकाश प्राप्त) को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ।

सुरक्षित एवं असुरक्षित लेनदारों के भुगतान के निपटान हेतु म.प्र. शासन द्वारा रू. 210.00 करोड़ ऋण के रूप में एम.पी.एस.आई.डी.सी. को विमुक्ति की स्वीकृति दी जा चुकी है । जिसमें से रू. 50.00 करोड़ की एक किश्त निगम को मिल चुकी है ।

निगम के वार्षिक लेखों से संबंधित

मध्यप्रदेश स्टेट इण्स्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. के प्रत्येक वर्ष के लेखो में उसकी सहायक कंपनीयों जिसमें ए.के.व्ही.एन–भोपाल, इंदौर ,जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा शामिल है, के लेखो की स्थिति भी समाहित कर अंतिम किया जाकर विधानसभा के पटल पर रखा जाता है।

उपरोक्त स्थिति में एम.पी.एस.आई.डी.सी.लि.(होल्डिग कंपनी) के वर्ष 2009–10 के लेखे तैयार है जिनमें संभवतः माह दिसम्बर 2010–जनवरी 2011 तक, लेखों पर वैधानिक अंकेक्षक एवं भारत के महालेखा,परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने के लिये प्रयासरत है।

वर्ष 2010–11 के लिये वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति भारत के महालेखा परीक्षक कार्यालय,नई दिल्ली द्वारा दी जा चुकी हैं यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा, कि निगम के वर्ष 2005–06 के लेखे विधानसभा पटल पर दिनांक 23.7.2010 को रखे जा चुके हैं, वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के लिये निगम के लेखे हिंदीकरण एवं मुद्रण के अंतिम चरण में हैं, यद्वपि वर्ष 2006–07 के लेखे पूर्ण हैं एवं आगामी वर्षों के लिये एक सहायक कंपनी ए.के.व्ही.एन–इंदौर के लेखे हिंदीकरण एवं मुद्रण के अध्यदीन है। विलंब के लिये प्रबंध संचालक ए.के.व्ही.एन. (इंदौर) लि., इंदौर को प्रबंध संचालक एम.पी.एस.आय.डी.सी.लि.(होल्डिंग कंपनी) द्वारा चेतावनी भी जा चुकी है।

31 मार्च 2010 स्थिति में निगम की प्राधिकृत अंशपूंजी रू. 85.00 करोड, तथा प्रदत्त पूंजी रू. 81.09 करोड थी। विगत 3 वर्षों के लिये अंकेक्षित एवं प्रावधिक लेखों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :–

(रू.लाखों में)

विवरण	वर्ष 2007–08 (अंकेक्षित)	वर्ष 2008–09 (अंकेक्षित)	वर्ष 2009–10 (प्रावधिक)
सकल आमदानी	934.04	1483.19	855.37
निवल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) प्रावधान कि वापसी	3224.81	32.00	388.55
शुद्ध व्यय	519.71	642.47	578.16
आयकर का प्रावधान	4.50	60.00	1.00
लाभ /(हानि) #	3634.64	812.72	664.76

(#) यह आंकड़े निवल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के लिये संदिग्ध एवं डूबत ऋणों के प्रावधान के बाद के हैं ।

1 निगम द्वारा वितरित अंतर निगमिय जमा राशि / ऋण राशि को शासन द्वारा अनुमोदित एक मुश्त निपटान योजना दि0. 16.05.2007 के अन्तर्गत वसूली हेतू प्रयास जारी है। पिछले 5 वर्षों में विधिक कार्यावाहियों के प्रभाव में एक मुश्त समझौते से रू. 66.00 करोड से अधिक की वसूली हो चुकी है।

2 निगम द्वारा लेनदारों के साथ एक मुश्त निपटान योजना के लिए रू 210.00 करोड कि राशि के लिये शासन द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। जिसमें से रू 50.00 करोड निगम को प्राप्त हो चुके है। जिसे ESCROW ACCOUNT में वसूली गयी राशि (90%) के साथ रखा गया है।

3 निगम द्वारा लेनदारों के साथ एक मुश्त निपटान योजना के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391–394 के तहत सुरक्षित लेनदारों एवं बॉण्ड होल्ड़रों के सहमति प्राप्त हो चुकी है। असुरक्षित लेनदारों– मुम्बई डिस्ट्रीक सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक, अपेक्स अर्वन सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक मुम्बई एवं गोवा की सहमति न मिलने के कारण योजना फलीभूत नहीं हो पा रही है।

4 निगम के कुछ लेनदारों एवं बॉण्ड होल्डर्स द्वारा निगम के समापन हेतु कंपनी याचिका उच्च न्यायालय –जबलपुर के समक्ष लंबित है। जिसमें अंतिम सुनवाई दिनांक 07.1.2011 नियत है।

<u>मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो. लिमिटेड</u>

राज्य शासन द्वारा कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा अपनी सम्पूर्ण गतिविधियां स्वयं के स्त्रोतों तथा बैंकों द्वारा प्रदत्त साख सुविधाओं के आधार पर संचालित की जा रही हैं।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

विवरण (आंकड़े लाखों में)	2008–09	2009–10	2010–11 (31.12.10 तक)
सकल आय	247.86 लाख	302.40 लाख	162.52 लाख
सकल व्यय	218.50 लाख	238.24 लाख	60.44 लाख
लाभ	029.36 लाख	64.16 लाख	102.08 लाख

मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड

मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड को वर्ष 2010–11 में राज्य शासन द्वारा राशि रूपये 10 हजार की टोकन राशि प्राप्त हुई है।

मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड

शासन की ओर से निगम के लिये किसी प्रकार का बजट प्रावधान नहीं किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

शासन की ओर से निगम के लिये किसी प्रकार का बजट प्रावधान नहीं किया जाता है।

भाग — तीन

राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाए

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

(अ) राज्य योजनायें
मांग संख्या—11
एक—राजस्व अनुभाग
0101— राज्य आयोजना (सामान्य)

(राशि लाख रुपयों में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2009—10		वर्ष 2010—11	
		बजट आवंटन	वर्ष में कुल व्यय	बजट आवंटन	व्यय (दिसम्बर 2010 तक)
2230—श्रम एवं रोजगार					
2230—5528	जॉब फेयर	15.000	14.460	22.320	15.567
2230—5529	कॅरियर काउन्सिल	28.000	27.023	40.100	27.829
2230—7877	मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन	0.100	0.000	0.100	0.000
2230—8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	70.940	58.762	48.360	22.836
2230—9397	8 रोजगार कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण	7.320	7.160	9.610	7.136
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग					
2851—3798	लघु उद्योग इकाईयों की गणना के अंतर्गत डेटा बैंक सेल की स्थापना	5.280 +14.000 19.280	18.345	7.930	1.167
2851—6883	हर्बल उत्पादों के निर्यात हेतु पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.010	0.000	0.010	0.000
2851—6909	ग्लोबल डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश	0.010	0.000	0.010	0.000
2851—6927	बीमार लघु उद्योगों के पुर्नजीवन की योजना	30.000 -29.990 0.010	0.000	23.000	0.000
2851—7012	विश्व व्यापार प्रकोष्ठ	0.010	0.000	0.010	0.000

(राशि लाख रुपयों में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11	
		बजट आवंटन	वर्ष में कुल व्यय	बजट आवंटन	व्यय (दिसम्बर 2010 तक)
2851–7690	पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय	750.000	750.000	800.400	571.263
2851–9212	शक्ति चलित करघों में प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति	0.950	0.397	1.000	0.143
2851–1175	ग्रामीण उद्यमी विकास योजना प्रशिक्षण	39.000	38.380	42.000	40.680
2852–उद्योग					
2852–4197	शासकीय कर्मचारियों एवं अशासकीय व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण प्रोग्राम स्टडी टूर	8.500 +1.310 9.810	9.479	11.010	8.522
2852–3801	उद्योगों को ब्याज अनुदान	624.210 +9.690 633.900	633.530	1715.760	1431.690
2852–5099	औद्योगिक सलाहकार परिषद का गठन	4.000 -4.000 0.000	0.000	2.000	1.540
2852–5100	विभागीय ऑनलाईन सेवाओं का विकास	46.750 -15.310 31.440	26.190	45.700	16.310
2852–5101	सीपेट को अधोसंरचना अनुदान	0.010 +29.990 30.000	30.000	40.000	40.000
2852–5480	जनसहयोग से व्यावसायिक प्रशिक्षण	—	—	—	—
2852–5492	भारत–ओमान रिफाईनरी लिमिटेड को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स की प्रतिपूर्ति	3500.000	3500.000	2000.000	1986.504
2852–5530	सूक्ष्म लघु उद्यम राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना	3.000	3.000	3.000	0.000
2852–5531	डेस्टिनेशन म.प्र.–इनवेस्टमेंट ड्राईव	100.000	100.000	100.000	100.000
2852–5816	डीएमआईसी परियोजना हेतु प्रशासनिक तंत्र	600.000 +100.000 700.000	700.000	100.000 +704.000 804.000	74.978

(राशि लाख रुपयों में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11	
		बजट आवंटन	वर्ष में कुल व्यय	बजट आवंटन	व्यय (दिसम्बर 2010 तक)
2852–6058	एपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाईन सेंटर हेतु अधोसंरचना अनुदान	—	—	77.000	0.000
2852–6393	औद्योगिक इकाईयों के पेटेंट कास्ट का भुगतान	0.010	0.000	0.010	0.000
2852–6819	विद्युत देयक प्रतिपूर्ति	85.000 -85.000 0.000	0.000	159.320	0.000
2852–7028	पारितोषिक पुरस्कार एवं सम्मान	—	—	—	—
2852–7429	स्किल डेव्हलपमेंट थ्रू कंसल्टेंसी	—	—	—	—
2852–7430	परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति	32.100	32.100	47.900	29.681
2852–7431	अनुसंधान एवं विकास अनुदान	0.01	0.00	0.010	0.000
2852–7432	अंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रचार–प्रसार योजना	160.000	158.290	160.000	116.235
2852–7433	गुणवत्ता प्रमाणीकरण व्यय प्रतिपूर्ति	31.500 -5.690 25.810	21.733	26.500	13.155
2852–7880	उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना	800.000 +115.000 915.000	914.990	1616.120	1269.880
2852–9068	औद्योगिक इकाईयों को निवेश पर अनुदान	856.450	854.438	2145.260	1756.200
दो–पूंजी अनुभाग					
4851–ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय					
4851–6749	भू–अर्जन सर्वे एवं डिमार्केशन (मतदेय)	390.000	390.000	990.000	399.954
	भू–अर्जन सर्वे एवं डिमार्केशन (भारित)	10.000	0.000	10.000	8.279
4851–6750	अधोसंरचना विकास	350.250	350.250	382.000	292.000

(राशि लाख रुपयों में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11	
		बजट आवंटन	वर्ष में कुल व्यय	बजट आवंटन	व्यय (दिसम्बर 2010 तक)
4851–7884	विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु भू–अर्जन	600.000	600.000	303.090	279.513
4875–अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय					
4875–5493	दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर निगम में धनवेष्ठन	100.000 -100.000 0.000	0.000	0.010	0.000
4875–6059	कम्पोजिट कार्यालय भवनों का निर्माण	—	—	103.000	0.000
4875–6114	सिद्धगवां जलप्रदाय योजना	—	—	100.00	75.000
4875–6820	क्लस्टरो की स्थापना	0.010	0.000	10.000	0.000
4875–6984	आटोमोबाईल्स टेस्टिंग ट्रेक हेतु भू–अर्जन	0.010	0.000	0.010	0.000
4875–7627	मिनीटूल रूम की स्थापना	0.010	0.000	0.010	0.000
4875–7879	अधोसंरचना विकास फंड की स्थापना	0.030	0.000	0.030	0.000
4875–7883	विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में एपरैल पार्क की स्थापना	100.000	100.000	7.620	7.620
6851–ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये कर्ज					
6851–2858	बीमार इकाईयों को मार्जिन मनी ऋण	0.01	0.00	0.010	0.000
6856– पेट्रो–केमिकल उद्योगों के लिये कर्ज					
6856–7880	उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना	—	—	10000.000	0.000
6860– उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज					
6860–6396	डीएमआईसी परियोजना हेतु ट्राईफेक को भू–अर्जन मुआवजा ऋण	—	—	0.000 +100.000 100.000	0.000

(राशि लाख रुपयों में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11	
		बजट आवंटन	वर्ष में कुल व्यय	बजट आवंटन	व्यय (दिसम्बर 2010 तक)
मांग संख्या 41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना एक–राजस्व अनुभाग 0102–आदिवासी उपयोजना 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग					
2851–7891	रानी दुर्गावती सहायता योजना	962.530	952.718	1007.010	707.961
मांग संख्या 64 अनुसूचित जाति उपयोजना एक–राजस्व अनुभाग 0103–अनुसूचित जाति उपयोजना 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग					
2851–7891	रानी दुर्गावती सहायता योजना	801.370	800.080	1197.650	1032.584

(ब) केन्द्र क्षेत्रीय योजनायें
मांग संख्या–11
एक–राजस्व अनभाग
0801– केन्द्र क्षेत्रीय योजना

(राशि लाख रुपयों में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11	
		योजना प्रावधान	वर्ष में व्यय	योजना प्रावधान	व्यय (दिसम्बर 2010 तक)
2851–ग्राम तथा लघु उद्योग					
2851–5406	लघु उद्योगों की संगणना	28.740 +88.726 117.466	111.070	35.470 +34.000 69.470	19.451
2851–8325	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	0.030 +1.290 1.320	1.290	0.030	0.000
2851–5813	राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	0.010	0.000	0.100	0.000
2852–उद्योग					
2852–0612	उद्योगों को 10–15 प्रतिशत लागत पूँजी अनुदान (पिछड़े जिले में स्थापित)	0.010 +8.370 8.380	8.361	0.010	0.000

(राशि लाख रुपयों में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11	
		योजना प्रावधान	वर्ष में व्यय	योजना प्रावधान	व्यय (दिसम्बर 2010 तक)
4875–अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय					
4875–0705	औद्योगिक क्षेत्र/ संस्थानों में विकास एवं निर्माण कार्य	0.010	0.000	0.010	0.000

(ब) उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

राज्य के युवा शिक्षित बेरोजगारों का उनके उद्यम के प्रति जारूकता पैदा करने के उद्देश्य से 4 से 6 सप्ताह की समयावधि का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्यप्रदेश उद्यमिता विकास केन्द्र, एम.पी. कान. सीपेट भोपाल आदि प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। उद्योग संचालनालय के माध्यम से इन संस्थाओं को प्राप्त बजट अनुसार प्रतिवर्ष राशि उपलब्ध कराई जाती है ।

प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही यह प्रयास किया जाता है कि उद्यमियों को उनके उत्पादों का चयन कर उनके अधीन प्रकरण तैयार कर संबंधित वित्त संस्थाओं को भेजे जाते हैं तत्पश्चात इन प्रशिक्षणार्थियों को समय समय पर प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं एवं महाप्रबंधक,जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा आपस में समन्वय कर उद्योगों की स्थापना करने में ही संभव सहयोग प्रदान किया जाता है।

विगत पांच वर्षो में इस योजनांतर्गत प्रगति विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	वर्ष	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल संख्या	कुल लाभांवित प्रशिक्षणार्थी
1	2005–06	32	800
2	2006–07	64	2000
3	2007–08	56	1680
4	2008–09	54	1500
5	2009–10	65	1595
6	2010–11 दिसम्बर 2010 तक	54	1654

रोजगार प्रभाग के प्रमुख कार्य

1. रोजगार सहायता :–

रोजगार कार्यालय शिक्षित, अशिक्षित, तकनीकी तथा गैर तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों का पंजीयन कर अधिसूचित रिक्त स्थानों के लिए वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार आवेदकों के नाम नियोजकों को भेजते हैं। वर्ष 2010–11 में मध्यप्रदेश के रोजगार कार्यालयों की उपलब्धियॉ निम्नानुसार है :–

क्रमांक	विवरण	30–11–2010 तक की स्थिति
1	2	3
1	पंजीयन	307565
2	नौकरी में लगे आवेदकों की संख्या	6758
3	आवेदकों की संख्या जिनके नाम रोजगार के लिए नियोजकों को भेजे गये	17192
4	अधिसूचित रिक्त स्थान	7236
5	जीवित पंजी (दिनांक 30–11–2010 की स्थिति में)	1938464

2. व्यावसायिक मार्गदर्शन :–

प्रदेश के 11 रोजगार कार्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन इकाईयॉ तथा 7 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र कार्यरत हैं, जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से शिक्षित बेरोजगारों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कार्यक्रम चलाते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उज्जैन में एक अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र भी कार्यरत है जो इन श्रेणी के आवेदकों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन देता है। दिनांक 30 नवम्बर 2010 तक रोजगार कार्यालयों द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में किये गये कार्यो का विवरण निम्नानुसार है –

क्रमांक	विवरण	वर्ष 2010–11 (30–11–2010 तक) की उपलब्धियॉ
1	पंजीयन मार्गदर्शन प्राप्त आवेदकों की संख्या	157447
2	व्यक्तिगत सूचना प्राप्त आवेदकों की संख्या	17069
3	पुराने प्रकरणों की समीक्षा	518
4	आयोजित व्यावसायिक वार्तायें	418
5	आयोजित शिविर	197

3. रोजगार बाजार सूचना एकत्रीकरण कार्यक्रम :–

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम में रोजगार कार्यालय, अनिवार्य रिक्त स्थान अधिसूचना, अधिनियम–1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासकीय क्षेत्र की समस्त स्थापनाओं से एवं निजी क्षेत्र की ऐसी स्थापना से जिनमें 25 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है त्रैमासिक अवधि में रोजगार संबंधी सूचना एकत्रित करते है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार कार्यरत कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी भी प्राप्त

करते है। अधिनियम के अन्तर्गत नियोजकों के अभिलेखों का निरीक्षण करने का प्रावधान है। वर्ष 2010–11 में 30 नवम्बर 2010 तक कुल 20 नियोजकों के अभिलेख निरीक्षण किये गये।

मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

औद्योगिक अधोसंरचना गतिविधियों को एमपीएसआईडीसी की पांच सहायक कंपनियों मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा के अंतर्गत संपन्न किया जा रहा है। वर्तमान में 19 विकास केन्द्र, 06 फूड पार्क, 07 लघु विकास केन्द्र, 02 स्टोन पार्क एवं 01–01 विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र विकसित किया गया है। अधोसंरचना विकास पर लगभग रूपये 450 करोड़ व्यय किये गये हैं। उद्योगों को अधोसंरचना प्रदान करने के लिए लगभग 9713 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है जिनमें आवंटन योग्य भूमि 5868 हेक्टेयर है तथा लगभग 4353 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है एवं 305 वृहद एवं मध्यम तथा 1697 लघु उद्योग कार्यरत है जिनमें रूपये 23040 करोड़ का पूंजी निवेश होकर एक लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

वर्तमान में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम क्षेत्रांतर्गत निम्नानुसार अधोसंरचना परियोजनाएं क्रियान्वयानाधीन हैः–

- आई.टी. एस.ई.जेड. इन्दौर
- अंतर्राष्ट्रीय आटो टेस्टिंग ट्रेक पीथमपुर
- मिनरल स्पेसिफिक एवं एग्रो स्पेसिफिक विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र जबलपुर
- डायमंड पार्क, इन्दौर
- लॉजिस्टिक हब मंडीदीप एवं पीथमपुर

अ. वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापनाः–

विगत वर्ष में प्रदेश में वृहद एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये गये। एकेव्हीएन क्षेत्रांतर्गत 01 मेगा प्रोजेक्ट, 19 वृहद इकाईयॉ तथा 133 लघु उद्योगों को 181 हेक्टयर भूमि आवंटित की गयी। इन प्रस्तावित उद्योगों में रूपये 2000 करोड़ का पूंजी निवेश होकर लगभग 11500 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा।

ब. अधोसंरचना विकास :–

1. भारत शासन की एसाईड योजनांतर्गत इस वर्ष अब तक पीथमपुर, खेड़ा, एसईजेड इन्दौर, मंडीदीप, बोरगांव एवं मनेरी में औद्योगिक अधोसंरचना विकास की रूपये 33.07 करोड़ लागत की 13 परियोजनाएं पूर्ण की गयी हैं।

2. प्रदेश में देश के पहले ग्रीन फील्ड विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र इन्दौर में उद्योग स्थापना की प्रक्रिया जारी है। यहॉ 48 उद्योगों को भूमि आवंटित की गयी हैं, 30 इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। इन उद्योगों में लगभग 8350 से अधिक व्यक्तियों को सीधे रोजगार प्राप्त हुआ

है तथा रूपये 1590.00 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है। वर्ष 2009–10 तक विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र से लगभग 1600 करोड़ रूपये का निर्यात किया जा चुका है। वर्तमान में 11 इकाईयॉ स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं जिनमें लगभग रूपये 689 करोड़ का पूंजी निवेश अनुमानित है।

3. भारत सरकार द्वारा हरगढ़ जिला जबलपुर में खनिज आधारित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की स्थापना अधिसूचित की गयी है। इस परियोजना में लगभग रूपये 158 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इसी प्रकार कृषि आधारित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र उमरिया–डुंगरिया जिला जबलपुर की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त दोनों विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर क्षेत्रांतर्गत विकसित किये जा रहे हैं।

4. भारत शासन की आई.आई.यू.एस. योजना के अंतर्गत पांढुरना में टेक्सटाईल क्लस्टर रूपये 6678 लाख, बुरहानपुर में पावरलूम क्लस्टर रूपये 1036 लाख, सेंधवा में कॉटन जिनिंग क्लस्टर रूपये 1638 लाख तथा बरोडी शिवपुरी में रूपये 408.00 लाख की लागत से स्टोन क्लस्टर पार्क बनाने की योजना भारत शासन को भेजी गयी है जिसमें पांढुरना औद्योगिक क्लस्टर हेतु भारत शासन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

5. भारत शासन की एम.एस.एम.ई–सी.डी.पी. योजनांतर्गत लघु औद्योगिक विकास क्षेत्रों की स्थापना हेतु कुल रूपये 9201.30 लाख के 11 प्रस्ताव भारत शासन की ओर स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं जिसमें से दो प्रस्तावों को (मुरकलखापा जिला सिवनी रूपये 730 लाख तथा लहगढुआ जिला छिन्दवाड़ा रूपये 700 लाख) भारत शासन की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो चुकी है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

(अ) व (ब)

व्यवसाय, औद्योगिक उत्पादनों, प्रोजेक्टस व सम्बद्धित सेवाओं के संवर्धन व विकास के लिये आयात–निर्यात हेतु मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेन्टर, मेला परिसर में स्थित है। मूलतः तीन करोड़ लागत की इस योजना को वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी और 1.75 करोड़ का अनुदान केन्द्र ने दिया था। शेष राशि रू0 1.25 करोड़ मेला प्राधिकरण द्वारा देय थी। तीन करोड़ की इस लागत के विरूद्ध रू0 4.25 करोड़ व्यय इसके निर्माण पर हुआ है। उक्त केन्द्रीय अनुदान के अलावा शेष सम्पूर्ण व्यय मेला प्राधिकरण ने वहन किया है। इसमें केन्द्रीय व राज्य के शासकीय व अशासकीय संस्थानों के आयोजन वर्ष भर किये जाते हैं। मेला अवधि में अग्रणी व्यापारिक संस्थाऐं अपने संयुक्त स्टाल्स लगाते हैं। इससे आय का यही स्त्रोत मेला प्राधिकरण को है।

मेला परिसर में विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा उनके पंजीकृत शिल्पिओं के लिये कुछ पक्की दुकानें निर्मित हैं जिनमें देश के हस्तशिल्पी अपनी कला/उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय करते हैं। शिल्पियों की अधिक संख्या में आने के कारण एक माह के आयोजन की अवधि में 15–15 दिन के लिये 2 शिफ्ट्स लगाये जाते हैं। हस्त शिल्प विभाग अपने स्थानीय सहायक निदेशक के सहयोग से पंजीकृत शिल्पियों को दुकानें आबंटित करता है। विद्युत आदि अन्य व्यवस्थाओं के लिये वित्तीय आबंटन राज्य के हस्त करघा निगम को देता है। यह निगम भी राज्य के शिल्पियों को उनके उत्पादों के विक्रय का यहां अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार यह मेला नियंत्रित और संचालित हेता है। इसका प्रारम्भ हो चुका है।

भाग — चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

विभाग स्तर

विभागीय पदोन्नति/नियुक्ति/समयमान वेतनमान

1. संयुक्त संचालक से अपर संचालक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनॉक 07.08.10 को आयोजित की जाकर पदोन्नति आदेश क्रमांक एफ–1(1)25/2008/सी–ग्यारह, दिनांक 04.11.2010 से जारी किए गए।
2. उप संचालक से संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनॉक 06.07.10 को आयोजित की जाकर पदोन्नति आदेश आदेश दिनॉक 10.01.2011 को जारी किए गए।
3. शासन आदेश क्रमांक एफ–1(1)76/2006/सी–ग्यारह, दिनांक 08.02.2010 से 01 सहायक संचालक से उप संचालक के पद पर पदोन्नति दी गई हैं।
4. विभाग में पदस्थ 106 सहायक संचालकों को समयमान वेतनमान दिए जाने के संबंध में छानबीन समिति की बैठक दिनॉक 31.12.2009 एवं 06.01.2010 को आयोजित की जाकर दिनॉक 21.04.2010 को आदेश जारी किए गए।
5. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाए में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनॉक 19.11.10 को आयोजित की जाकर दिनॉक 06.01.2011 को पदोन्नति आदेश जारी किए गए।
6. शासन आदेश क्रमांक एफ–1(1)66/2005/सी–ग्यारह, दिनांक 31.05.2010 से 01 सहायक संचालक के पद पर नियुक्ति दी गई हैं।

विभागीय जांच

विवरण	कुल लंबित प्रकरणों की सॅख्या	प्रकरणों की सॅख्या जिनमें अंतिम निर्णय लिए गए	लंबित प्रकरणों की सॅख्या
विभागीय जॉच प्रकरण	20	05	15
अपील प्रकरण	03	01	02

न्यायालयीन प्रकरण

विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा से संबंधित कुल 360 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित है। इनमें रोजगार प्रभाग, बॉयलर संचालनालय एवं रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सॅस्थाए के न्यायालयीन वाद भी सम्मिलित है।

सूचना का अधिकार

(i) सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभाग स्तर पर वित्तीय वर्ष 2010–11 में दिसंबर, 10 तक कुल 87 प्रकरण प्राप्त हुये, जिनमें से 65 प्रकरणों का निराकरण किया गया, 9 प्रकरण अतरित किए गए, 6 प्रकरण नस्तिबद्ध हुए, 3 प्रकरणों में जानकारी अप्राप्त है तथा 4 प्रकरणों में आवेदकों द्वारा जानकारी नहीं ली गई है।

(ii) सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वित्तीय वर्ष 2010–11 में दिसंबर, 10 तक कुल 11 अपीले प्राप्त हुई, जिनमें समस्त अपीलों का निराकरण किया गया है।

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

विभागीय पदोन्नति/नियुक्ति/समयमान वेतनमान

1. उद्योग संचालनालय के पत्र क्रमांक 1/स्था/(1)/अ/10/12431, दिनांक 2.7.2010 से सहायक संचालक से उप संचालक के 36 रिक्त पदों के पदोन्नति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं।
2. उद्योग संचालनालय के आदेश क्रमांक 369, दिनांक 03.07.10 से 01 सहायक प्रबंधक को द्वितीय समयमान वेतनमान दिया गया हैं।
3. उद्योग संचालनालय के आदेश क्रमांक 516, दिनांक 20.09.10 से 04 सहायक प्रबंधक को द्वितीय समयमान वेतनमान दिया गया हैं।
4. उद्योग संचालनालय के आदेश क्रमांक 648, दिनांक 08.12.10 से 17 सहायक प्रबंधक को द्वितीय समयमान वेतनमान दिया गया हैं।
5. उद्योग संचालनालय के आदेश क्रमांक 654, दिनांक 09.12.10 से 2 सहायक प्रबंधक को द्वितीय समयमान वेतनमान दिया गया हैं।
6. उद्योग संचालनालय के आदेश क्रमांक 508, दिनांक 14.09.10 से 01 स्टेनोटायपिस्ट को द्वितीय समयमान वेतनमान दिया गया हैं।

7. उद्योग संचालनालय के आदेश क्रमांक 212, दिनांक 05.05.10 से 21 सहायक वर्ग–3 को द्वितीय समयमान वेतनमान दिया गया हैं।

8. उद्योग संचालनालय के आदेश क्रमांक 642, दिनांक 06.12.10 से 1 सहायक वर्ग–3 से सहायक वर्ग–2 के पद पर पदोन्नति दी गई हैं।

9. उद्योग संचालनालय के आदेश क्रमांक 265, दिनांक 31.05.10 से एक कर्मचारी को तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई हैं।

10. उद्योग संचालनालय के आदेश क्रमांक 380, दिनांक 13.07.10 से एक कर्मचारी को तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई हैं।

11. उद्योग प्रभाग के अन्तर्गत निम्न अधिकारियों/ कर्मचारियों को पदोन्नति/ क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान की जानकारी संवर्गवार निम्नानुसार है :–

क्रमांक	संवर्ग का नाम	पदोन्नति	क्रमोन्नति	समयमान वेतनमान	स्थाईकरण
1	अपर संचालक उद्योग	01	–	01	–
2	महाप्रबंधक/ उप संचालक उद्योग	01	03	03	–
3	प्रबंधक /सहायक संचालक उद्योग	–	02	87	–
4	सहायक प्रबंधक	–	–	24	–
5	सहायक वर्ग–2	01	–	–	–
6	सहायक वर्ग–3	–	–	21	–
7	स्टेनो टायपिस्ट	–	–	01	–
8	भृत्य	–	–	06	–

12. रोजगार प्रभाग में 02 सहायक–श्रेणी–3 एवं 02 भृत्य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई।

13. रोजगार प्रभाग के अंतर्गत निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नानुसार पदोन्नति, क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया :–

क्रमांक	संवर्ग का नाम	पदोन्नति	क्रमोन्नति	समयमान
1	2	3	4	5
1	स्टेनोटायपिस्ट, सहायक–श्रेणी–3 से सहायक–श्रेणी–2	05	–	14
2	भृत्य/चौकीदार से दफ्तरी	02	–	05

विभिन्न संवर्गो में पदों की स्थिति

उद्योग प्रभाग

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	विभाग में कार्यरत पदों की संख्या
प्रथम श्रेणी			
1	अपर संचालक	6 = (3 + 3) 3 पद प्रतिनियुक्ति	07
2	संयुक्त संचालक	16 = (8 + 8) 8 पद प्रतिनियुक्ति	06
3	महाप्रबंधक / उप संचालक	59 = (45 + 14) 14 पद प्रतिनियुक्ति	67
द्वितीय श्रेणी			
4	प्रबंधक / सहायक संचालक	194 = (179 +15) 15 पद प्रतिनियुक्ति	163
5	वरिष्ठ निज सहायक	09	07
6	प्रशासकीय अधिकारी	01	रिक्त
तृतीय श्रेणी			
7	सहायक प्रबंधक	306	271
8	अधीक्षक	08	01
9	सहायक अधीक्षक	03	03
10	सहायक वर्ग–1	47	40
11	सहायक वर्ग–2	134	128
12	सहायक वर्ग–3	256	176
13	कम्प्यूटर आपरेटर (सांख्येतर)	02	02
14	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	05	04
15	जूनियर ऑडिटर	05	00
16	लेखापाल	51	05
17	निज सहायक	26	24
18	शीघ्रलेखक	78	64
19	स्टेनोटायपिस्ट	89	21
20	मिस्त्री (सांख्येतर)	01	01
21	अन्वेषक	13	11
22	सीनियर इन्वेस्टीगेटर	01	01
23	वाहन चालक	63	51

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	विभाग में कार्यरत पदों की संख्या
चतुर्थ श्रेणी			
24	सुपरवाइजर	02	02
25	जमादार	01	01
26	दफतरी	01	01
27	भृत्य	228	179
28	चौकीदार	69	34

2. **रोजगार प्रभाग** में दिनांक 30 नवम्बर 2010 की स्थिति में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की श्रेणीवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	संयुक्त संचालक	02	01	01
2	उप संचालक	08	08	—
3	संभागीय रोजगार अधिकारी	02	01	01
4	राज्य रोजगार अधिकारी	01	01	—
5	वरिष्ठ शोध अधिकारी	01	—	01
प्रथम श्रेणी का योग		**14**	**11**	**03**
6	रोजगार अधिकारी	48	33	15
7	सहायक संचालक	01	—	01
8	लेखा अधिकारी	01	—	01
9	प्रोग्रामर	03	03	—
द्वितीय श्रेणी का योग		**53**	**36**	**17**
10	अधीक्षक	01	—	01
11	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	41	02	39
12	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी	12	—	12
13	कलाकार	01	01	—
14	स्टेनोग्राफर	06	06	—
15	सहायक श्रेणी-2	40	35	05
16	संगणक	01	01	—
17	स्टेनोटायपिस्ट	07	05	02
18	सहायक श्रेणी-3	195	153	42
तृतीय श्रेणी का योग		**304**	**203**	**101**
19	दफ्तरी	03	01	02
20	भृत्य	100	88	12
21	चौकीदार	48	42	06
22	स्वीपर	02	02	—
चतुर्थ श्रेणी का योग		**153**	**133**	**20**
महायोग		**524**	**383**	**138**

स्थानांतरण

1. उद्योग प्रभाग

क्र0	पदनाम	स्थानांतरण की संख्या
1	महाप्रबन्धक (प्रथम श्रेणी)	17
2	प्रबन्धक (द्वितीय श्रेणी)	30
3	सहायक प्रबंधक (कार्यपालिक तृतीय श्रेणी)	38
4	तृतीय श्रेणी	16
5	चतुर्थ श्रेणी	03

2. **रोजगार प्रभाग** में दिनांक 30 नवम्बर, 2010 की स्थिति में स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	प्रशासकीय आधार पर किये गये स्थानान्तरणों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	उप संचालक	08	08	01
2	रोजगार अधिकारी	48	33	02
3	सहायक–श्रेणी–2	40	35	04
4	सहायक–श्रेणी–3	195	153	11
5	भृत्य	100	88	05
6	चौकीदार	48	42	03

पदक्रम सूची

1. विभिन्न संवर्ग के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों की (अपर/संयुक्त/उप/सहायक संचालक उद्योग की) पदक्रम सूची (1 अप्रेल 2010 की स्थिति दर्शाने वाली) का प्रस्ताव दिनांक 28.12.2010 को शासन की ओर प्रेषित किया गया है एवं वरिष्ठ निज सहायक (राजपत्रित श्रेणी सेवा दो) की दिनांक 1.4.10 की पदक्रम सूची का प्रस्ताव दिनांक 21.12.10 को शासन की ओर प्रेषित किया जा चुका है।

2. अराजपत्रित संवर्ग एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदक्रम सूची (1 अप्रेल 2010 की स्थिति दर्शाने वाली) दिनांक 28.12.2010 को प्रकाशित की जा चुकी है।

3. रोजगार प्रभाग के राजपत्रित संवर्ग की दिनांक–01–04–2008 की पदक्रम सूची जारी हो चुकी है एवं दिनांक–01–04–2009 / 01–04–2010 की स्थिति दर्शाने वाली पदक्रम सूची पर कार्यवाही जारी है ।

4. रोजगार प्रभाग के अराजपत्रित श्रेणी के अधिकारियों / कर्मचारियों की दिनांक 01–04–2009 की स्थिति की पदक्रम सूची जारी हो चुकी है एवं 01–04–2010 की स्थिति दर्शाने वाली पदक्रम सूची पर कार्यवाही जारी है ।

पेंशन संबंधी जानकारी

1. उद्योग प्रभाग

(31 दिसम्बर, 2010 तक की स्थिति)

क्र.	श्रेणी	पूर्व वर्षो के लंबित प्रकरण	वर्ष 10–11 में प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	शेष लंबित प्रकरणों की संख्या	रिमार्क
1	प्रथम	10	02	12	–	12	–
2	द्वितीय	01	03	04	04	–	–
3	तृतीय	01	01	02	01	01	–
4	चतुर्थ	01	01	02	–	02	–
	योग	**13**	**07**	**20**	**05**	**15**	**–**

2. रोजगार प्रभाग

(30 नवम्बर, 2010 तक की स्थिति)

क्रमांक	श्रेणी	गत वर्ष के शेष प्रकरणों की संख्या	प्राप्त प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	लंबित प्रकरणों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	प्रथम श्रेणी	–	–	–	–
2	द्वितीय श्रेणी	–	–	–	–
3	तृतीय श्रेणी	09	02	–	11 (इसमें पूर्व वर्षो के प्रकरण भी सम्मिलित है.)
4	चतुर्थ श्रेणी	03	02	–	05 (इसमें पूर्व वर्षो के प्रकरण भी सम्मिलित है.)
	योग	**12**	**04**	**–**	**16**

विभागीय जांच

1. उद्योग संचालनालय, उद्योग प्रभाग

प्रथम श्रेणी	कुल 19 प्रकरण	02 समाप्त	17 प्रकरण लंबित
द्वितीय श्रेणी	कुल 12 प्रकरण	01 समाप्त	11 प्रकरण लंबित

तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के 04 प्रकरणों में कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलित है एवं तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के 10 प्रकरणों में उद्योग संचालनालय, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं अन्य कार्यालय स्तर पर, इस प्रकार कुल 14 प्रकरण प्रचलन में रहे है, जिनमें से 03 प्रकरण समाप्त होने के पश्चात् 11 प्रकरण लंबित है।

2. **उद्योग संचालनालय, रोजगार प्रभाग** में दिनांक 30 नवम्बर 2010 की स्थिति में विभागीय जॉच की श्रेणीवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	श्रेणी	शासन स्तर पर प्रचलित प्रकरणों की संख्या	संचालनालय स्तर पर प्रचलित प्रकरणों की संख्या
1	प्रथम श्रेणी	–	–
2	द्वितीय श्रेणी	–	–
4	तृतीय श्रेणी	–	03
5	चतुर्थ श्रेणी	–	01

न्यायालयीन प्रकरण

1. उद्योग संचालनालय, उद्योग प्रभाग

उद्योग संचालनालय में दिसम्बर 2010 तक कुल 628 न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित है। जिनमें से अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित 263 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित है।

2. उद्योग संचालनालय, रोजगार प्रभाग

वित्तीय वर्ष 2010–2011 में 01–04–10 से 30–11–10 तक प्राप्त एवं लंबित प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

प्राप्त निर्णय	05
पालन किये गये निर्णय	01
पालन के लिए लंबित निर्णय	13
निर्णय के लिए न्यायालय में लंबित प्रकरण	63

सूचना का अधिकार

1. उद्योग संचालनालय, उद्योग प्रभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभाग द्वारा विभागीय मैन्यूअल जारी किया गया है। अधिनियम के प्रभारी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित कार्यवाही की गई है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में दिसंबर, 10 तक कुल 816 प्रकरण प्राप्त हुये जिनमें से 767 प्रकरणों का निराकरण किया गया है ।

2. उद्योग संचालनालय, रोजगार प्रभाग

रोजगार कार्यालयों में दिनांक 05–10–2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 लागू किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में दिनांक 30–11–2010 तक कुल 58 प्रकरण प्राप्त हुये है, जिनमें से 56 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।

सिटीजन चार्टर

परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं जिला रोजगार कार्यालय के कार्यकलापों के संबंध में समय–सीमा निर्धारित करने के संबंध में सिटीजन चार्टर भी लागू किया गया है।

पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं

अ विशेष भर्ती अभियान के तहत बैकलाग पदों की पूर्ति की गई है। इसी प्रकार आरक्षण नियमों के तहत कार्यालय में उपयुक्त पात्रता वाले आरक्षित एवं अनारक्षित पदो वाले कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है।

ब कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य शासन के द्वारा जारी निर्देशों के पालन में क्रमोन्नति वेतन का लाभ दिया गया है। विभाग में पदस्थ राजपत्रित अधिकारियों को समयमान वेतनमान का लाभ प्रदाय करने हेतु छानबीन समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 4.10.08 को किया जाकर समयमान वेतनमान का आदेश दिनांक 15.1.2009 को जारी किया गया। विभाग में अन्य कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को भी समयमान वेतन का लाभ प्रदाय करने हेतु छानबीन समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 8.3.2010 एव 9.3.2010 को किया जाकर समयमान वेतनमान का आदेश दिनांक 10.3.2010 को जारी किया गया।

विभाग में पदोन्नति के समस्त रिक्त पदों हेतु वर्ष–2009 में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर इस वर्ष कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है।

स विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की दिनांक 1.4.2010 की दर्शाने वाली पदक्रम सूची का प्रकाशन दिनांक 1.12..2010 को किया गया एवं कार्यालय की तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पदक्रम सूची का प्रकाशन दिनांक 6.10.2010 को किया गया है ।

द कार्यालय में दिनांक 31.12.2010 की स्थिति में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	रजिस्ट्रार	01	01	–
2	असिस्टेंट रजिस्ट्रार	08	08	–
3	अधीक्षक	01	01	–
4	निरीक्षक	09	08	01
5	आडीटर	23	17	06
6	स्टेनोग्राफर	01	01	–
7	सहायक ग्रेड– एक	02	01	01
8	सहायक ग्रेड–2	09	08	01
9	सहायक ग्रेड–3	10	06	04
10	स्टेनोटाईपिस्ट	01	–	01
11	वाहन चालक	01	01	–
12	दफ्तरी	01	01	–
13	भृत्य	09	08	01
14	प्रोसेस सर्वेन्ट	06	05	01
15	फर्राश	01	–	01
	योग	**83**	**66**	**17**

इ **पेंशन संबंधी जानकारी** :–कार्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों की पेंशन से संबंधित कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है ।

फ **विभागीय जांच /अपील से संबंधित जानकारी :–** कार्यालय में दिनांक 1.12.2010 की स्थिति में विभागीय जांच/अपील की स्थिति निम्नानुसार है :–

विभागीय जांच अपील प्रकरण	कुल प्रकरण	लंबित प्रकरण
प्रथम श्रेणी	निरंक	निरंक
द्वितीय श्रेणी	01	01
तृतीय श्रेणी	02	02
चतुर्थ श्रेणी	निरंक	निरंक

य **न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित जानकारी :–**

न्यायालयीन प्रकरणो में द्वितीय श्रेणी अधिकारी का एक प्रकरण एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के चार प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

ल **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत जानकारी :–**

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है।

वाष्पयंत्र संचालनालय, मध्यप्रदेश

सेन्ट्रल बॉयलर्स बोर्ड :– सेन्ट्रल बॉयलर्स बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औधोगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) उद्योग भवन नई दिल्ली, भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 एवं भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के अनुरूप बॉयलर संचालनालय,म0प्र0,इंदौर कार्यरत है, सेट्रल बॉयलर्स बोर्ड संचालक वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश राज्य के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते है।

दिनांक 08.0210 से 11.02.2010 तक सेन्ट्रल बॉयलर बोर्ड की वार्षिक बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें श्री जी0पी0पटेल निरीक्षक वाष्पयंत्र, म0प्र0 राज्य के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए।

नियुक्तियॉ एवं पदोन्नतियॉ :– प्रतिवेदित अवधि में बॉयलर निरीक्षकालय, में कोई नियुक्ति एवं पदोन्नति नहीं हुई है। संचालक वाष्पयंत्र कार्यालय के अराजपत्रित कर्मचारियों की दिनांक 01.04.10 की स्थिति दर्शाने वाली पदक्रम सूची का प्रकाशन दिनांक 19.04.2010 को किया गया।

अभियोजन :– प्रतिवेदन अवधि में इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 की धारा 12 के उल्लघन में मैसर्स प्रकाश प्रोटिन्स इन्दौर के विरूद्व न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, जिस पर न्यायालय का निर्णय लंबित है।

बॉयलर संचालनालय में अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित कुल दो प्रकरण लंबित है जिसमें से एक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं एक प्रकरण उच्च न्यायालय इंदौर में लंबित है

अपील :– प्रतिवेदन अवधि में इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 की धारा 20 के प्रावधान में संचालक वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश के किसी भी आदेश के विरूद्व राज्य शासन को कोई अपील प्रेषित नहीं की गई।

बॉयलर चालन इंजीनियर्स परीक्षा :– प्रतिवेदित अवधि में मध्य प्रदेश बॉयलर चालन इंजीनियर्स नियम 1968 के अंतर्गत बॉयलर चालन इंजीनियर्स को प्रवीणता प्रमाण–पत्र देने हेतु परीक्षा, आयोजित नहीं की गई। सेन्ट्रल बॉयलर बोर्ड के अधीन नियम विचाराधीन होने से परीक्षा आयोजित नहीं की गई ।

बॉयलर अटेण्डेंट परीक्षा:– प्रतिवेदित अवधि में मध्य प्रदेश बॉयलर अटेण्डेन्ट्स नियम,1958 के अंतर्गत बॉयलर अटेण्डेन्ट को प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु परीक्षा आयोजित नहीं की गई। सेन्ट्रल बॉयलर बोर्ड के अधीन नियम विचाराधीन होने से परीक्षा आयोजित नहीं की गई ।

वेल्डर परीक्षा:– इंडियन बॉयलर रेग्यूलेशन 1950 के परिच्छेद 13 में दिये गये विवरण के अनुसार प्रतिवेदित अवधि में प्राप्त आवेदनों में से 12 व्यक्तियों को परीक्षा के उपरांत वेल्डर परफारमेंस की योग्यता के प्रमाण–पत्र दिये गये ।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

म.प्र. लघु उद्योग निगम कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। निगम का संचालन निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2010–11 में संचालक मण्डल की नवम्बर 10 तक 04 बैठक आयोजित हो चुकी हैं। कार्यालयीन कायों को समय सीमा में निपटाने हेतु निगम में सिटीजन चार्टर लागू किया गया हैं ।

शासन के निर्देशानुसार निगम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है । निगम के अधिनस्थ सभी कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी एवं मुख्यालय

पर अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर 2010 तक 96 आवेदन प्राप्त हुये है जिसमें से 84 का निराकरण किया जा चुका हैं।

आलोच्य अवधि में राज्य विधानसभा द्वारा निगम से सम्बंधित कोई विधेयक पारित नहीं किया गया है । वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह नवम्बर 2010 तक निगम से सम्बंधित विधानसभा में 53 प्रश्न प्राप्त हुए जिनका उत्तर निर्धारित समयावधि में राज्य शासन के वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग को प्रेषित किये गये । निगम में कुल 331 नियमित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं । निगम के अधिकारी/कर्मचारियों को छठवें वेतनमान का लाभ दिया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों की नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही भी नियमित रूप से की जा रही है। निगम द्वारा सितम्बर 2007 में निगम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बैंकलॉग के 47 रिक्त पदों में से प्रथम चरण में 28 रिक्त पदों को मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से भरने हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जाकर 20 पद संविदा के आधार पर भरे गये थे। जिनमें से माह नवम्बर 2010 तक 13 कर्मी संविदा पर कार्यरत रहे । बैकलॉग के कनिष्ठ लेखापाल के 07 पदों को भरने हेतु म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल को लेख किया गया है । निगम में दिनॉक 21.12.10 तक रोस्टर का पालन करते हुए पात्र प्रथम श्रेणी के 03 अधिकारियों की उच्च पदों पर, द्वितीय श्रेणी के 09 अधिकारियों की प्रथम श्रेणी के पदों पर, तृतीय श्रेणी के 37 कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की गई है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व कर ली जावेगी। माह दिसम्बर 2010 तक निगम के कुल 103 न्यायालयीन प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित/विचाराधीन हैं।

मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

मध्य प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी के रूप में पंजीकृत है । निगम का संचालन निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ ऐसोसियेशन के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

निगम में कुल 84 नियमित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है । इनमें से 16 महिलाएं एवं 68 पुरूष सम्मिलित है । निगम में क्रमोन्नति योजना का लाभ दो वाहन चालकों को दिया गया है।

मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो. लिमिटेड

- कोई जांच समिति गठित नहीं की गई।
- निगम में सूचना का अधिकार लागू किया गया है।
- निगम का नवीन सेटअप तैयार किया जा रहा है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

1. प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9 नवम्बर 2010 को व्यापार मेला प्राधिकरण के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय श्रीमती समीक्षा गुप्ता, महापौर ने की। इसमें एजेण्डा में शामिल विषयों पर विचार विमर्श किया गया और आवश्यक प्रस्ताव पारित किये गये।

2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11–10/11/बी/2001 दिनांक 28.3.2002 द्वारा मेला परिसर की 15 एकड़ भू भाग एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क एवं फेमिली रि–क्रियेशन

सेन्टर निर्माण हेतु 15 वर्ष के पट्टे पर आबंटित की गई है। आबंटी श्री व्ही0 पी0 गर्ग, संचालक, रीजेन्सी एग्रो प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड, ग्वालियर है।

3. मेला प्राधिकरण पर सर्विस टेक्स आरोपित किये जाने का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

4. न्यायालयीन प्रकरणों में पैरवी के लिये दो अभिभाषकों की सेवायें लीं जा रहीं हैं।

5. ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में वर्ष 2007 में आतिशबाजी मेला के आयोजन में अग्निकाण्ड के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त लगभग 350 पक्की दुकानों के पुनर्रूद्वार के लिये शासन से मांगी गई मुआवजा राशि रू0 3.50 करोड़ प्राप्त होना अपेक्षित है।

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

निगम की हाथकरघा इकाईयों तथा विक्रय केन्द्रों में कार्यरत् कुल 542 अधिकारी/कर्मचारियों में से 493 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनांतर्गत एवं छंटनी कर सेवामुक्त किया जा चुका है। 20 अधिकारी/कर्मचारी को म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम में निगम तथा 06 अधिकारी/कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग, अन्य विभागों में उनके संविलियन फलस्वरूप निगम सेवा से कार्यमुक्त किया गया है तथा 24 अधिकारी/कर्मचारियों की सेवायें छत्तीसगढ़ राज्य में सेवाएं देने हेतु दिनांक 30.9.2004 को निगम सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

न्यायालयीन प्रकरण

निगम की इकाई इंदौर टेक्सटाईलस,उज्जैन (बंद) अवंति सूत मिल,सनावद तथा हाथकरघा इकाईयों/विक्रय केन्द्रों से संबंधित लगभग 150 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है।

अंकेक्षण

निगम के वर्ष 2004–2005 के लेखे विधान–सभा पटल पर दिनांक 22.7.2010 को पटलित किये जा चुके हैं। वर्ष 2005–06 के लेखा आगामी विधान–सभ सत्र में पटलित किये जावेगें। वर्ष 2006–07 के लेखाओं का अंतिमीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2007–08 का सांविधिक अंकेक्षण कार्य प्रगति पर है।

भाग—पांच

अभिनव योजना

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

1. i- लेण्ड बैंक :—

प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड इम्प्लिमेंटेशन बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रदेश में उपलब्ध उपयुक्त शासकीय भूमियों का एक लेण्ड बैंक बनाया जाये, जिससे निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये निवेशकों को आकर्षित किया जा सकें।

उक्त प्रयोजन हेतु मध्यप्रदेश के समस्त जिलों से उपयुक्त शासकीय भूमियों की जानकारी एकत्र की गई। प्रदेश के 45 जिलों की कुल 22506.737 हेक्टेयर शासकीय भूमि चिन्हित की गई है, जिसे लेण्ड बैंक के रूप में संधारित किया गया है। यह चिन्हित भूमि प्रदेश में आने वाले निवेशकों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जावेगी।

ii- शासकीय भूमि का हस्तातंरण :—

प्रदेश में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना एवं निवेशकों की आवश्यकता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2010—11 में निम्नानुसार शासकीय भूमि राजस्व विभाग से हस्तातंरित कराई गई :—

क्र0	जिला	ग्राम	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	हस्तातंरण आदेश दिनांक
1	कटनी	अमकुही	90.000	01.02.2010
2	राजगढ़	कजनारिय़ी	20.000	02.02.2010
3	दमोह	गीदन एवं सगौनी	497.984	22.02.2010
4	होशगांबाद	कीरतपुर (इटारसी)	10.118	26.02.2010
5	विदिशा	मदागन	65.608	30.03.2010
6	इंदौर	बिजेपुर	44.605	21.04.2010
7	सागर	पटनाकाकरी	60.000	30.04.2010
8	कटनी	बसाड़ी,, करूआकापा एवं सल्हना	50.420	21.05.2010
9	सिवनी	भुरकुलखापा, बिठली	395.750	01.07.2010
10	शिवपुरी	डेहरवाल	77.190	07.08.2010
11	इंदौर	राउ	3.464	07.08.2010
12	सीहोर	मेहतवाड़ा	29.271	03.11.2010
		योग	**1344.410**	

2. जॉब फेयर

निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार अवसरों के अधिकतम दोहन के लिए निजी क्षेत्र के बड़े नियोजकों के संस्थानों में रिक्त पदों पर वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराने तथा वायुसेना/थलसेना में भर्ती के लिए यह योजना वित्तीय वर्ष 2008–2009 से क्रियान्वित की जा रही है। जॉबफेयर योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–2010 में निजी क्षेत्र एवं वायु सेना में 9881 आवेदकों का नियुक्ति हेतु चयन करवाया गया,जिसमें भारतीय वायु सेना में 1230 एयरमेन का चयन भी सम्मिलित है ।

वित्तीय वर्ष 2010–11 (31–12–2010 की स्थिति) में जॉबफेयर के माध्यम से निजी एवं वायुसेना में 16,593 आवेदकों की नियुक्ति हेतु चयन करवाया गया, इसमें भारतीय वायु सेना में 723 एयरमेन तथा थलसेना में 289 सैनिकों का चयन भी सम्मिलित है।

3. कॅरियर काउन्सिलिंग :–

वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक रोजगार बाजार की समझ को विकसित करने एवं रोजगार प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाने के उद्‌देश्य से यह योजना वित्तीय वर्ष 2008–09 से 15 जिला रोजगार कार्यालयों में *कॅरियर काउन्सिलिंग* की महत्वाकांक्षी योजना प्रांरभ की गई थी। वर्ष 2009–10 में दो तथा वर्ष 2010–11 में दो और जिलों को इस योजना में सम्मिलित किया जाकर वर्तमान में कुल 19 जिलों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षित कॅरियर काउंसलर एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षित आवेदकों को काउन्सिलिंग कर उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2009–2010 में 14,734 तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 (31–12–2010 की स्थिति) में कुल 12359 शिक्षित आवेदकों को काउन्सिलिंग के माध्यम से व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

4 रोजगार कार्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य :–

प्रदेश के बेरोजगारों को ऑनलाईन पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं रोजगार कार्यालयों में पंजीबद्ध बेरोजगारों को उपलब्ध रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नियोजकों को उपलब्ध जनशक्ति की जानकारी सहजता एवं त्वरित रूप से उपलब्ध कराने के उद्वेश्य से प्रदेश के 48 जिला रोजगार कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जाकर, इन कार्यालयों में पंजीबद्ध बेरोजगार आवेदकों का डेटाबेस भी तैयार किया जा रहा है।

रोजगार प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर साफ्टवेयर विकसित किया जा चुका है और अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिये जा रहे है ।

वित्तीय वर्ष 2010–11 (31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति) में कुल 2,81,579 बेरोजगार आवेदकों का ऑनलाईन पंजीयन किया गया।

<u>वर्ष 2010–11 में आयोजित प्रशिक्षण</u> :–

उद्योग प्रभाग

कुल 37 प्रशिक्षणों कार्यक्रमों के माध्यम से 247 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

रोजगार प्रभाग

वर्ष 2010–11 में (दिनांक 30 नवम्बर, 2010 की स्थिति) अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए गए विभिन्न प्रशिक्षणों की जानकारी निम्नानुसार है :–

(अ) – कम्प्यूटर प्रशिक्षण :–

क्रमांक	प्रशिक्षण संस्था	प्रशिक्षण विषय	प्रशिक्षण दिनांक	नामांकित	
				अधिकारी	कर्मचारी
1	क्रिस्प संस्था, भोपाल	OLEX कम्प्यूटर प्रशिक्षण	22–04–2010 से 24–04–2010 तक	20	–

(ब) – अन्य प्रशिक्षण :–

क्रमांक	प्रशिक्षण संस्था	प्रशिक्षण विषय	प्रशिक्षण दिनांक	नामांकित	
				अधिकारी	कर्मचारी
1	सरटस, नोएडा	एकीकृत प्रशिक्षण	07–06–2010 से 09 जुलाई–2010 तक	02	–
2	सरटस, नोएडा	एकीकृत प्रशिक्षण	08–11–2010 से 10–12–2010 तक	02	–
3	सरटस, नोएडा	रोजगार बाजार सूचना	16–08–2010 से 20–08–2010 तक	02	–
4	सरटस, नोएडा	व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं स्वरोजगार	10–05–2010 से 21–05–2010 तक	01	–
योग				**07**	–

वाष्पयंत्र संचालनालय, मध्यप्रदेश

इण्डियन बॉयलर्स एक्ट 1923 की धाराओं से छूट :– प्रतिवेदित अवधि में राज्य शासन ने धारा 34 में प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल एव नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन की ईकाइयों के 10 बायलरों को इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से शिथिलता प्रदान की गई।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

(1) निगम की अनुमोदित दरों में अधिक प्रतिस्पर्धा हेतु निम्नानुसार प्रावधान किये गये :–

1. निविदाओं का ई–टेण्डरिंग प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक कवरेज ।
2. प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को रूपये 25000/– परफारमेंस गारंटी की राशि जमा कर उनके द्वारा उत्पादित समस्त उत्पादों की राज्य स्तरीय/अखिल भारतीय निविदा में भाग लेने की सुविधा प्रदान की गई है ।
3. 2.00 करोड़ रूपये वार्षिक से अधिक के व्यवसाय वाले समस्त उत्पादों/आयटम्स की अनिवार्यतः राष्ट्रीय निविदा ।
4. न्यूनतम दर/अनुमोदित दर पर दर अनुबंध की सुविधा अब केवल उन्हीं इकाइयों को जिनके द्वारा न्यूनतम दर से 25 प्रतिशत अधिक तक की दर (राज्य स्थित इकाइयों के मामलों में) अथवा 10 प्रतिशत से अधिक तक की दर (राज्य के बाहर की इकाइयों के मामलों में) निविदा में आफर की हो ।
5. न्यूनतम दर आफरकर्ता को प्रदाय आदेश देने में प्राथमिकता ।
6. ओ.ई.एम. (मूल उत्पादनकर्ता) अथवा उसके द्वारा निविदा में भाग में भाग लेने हेतु अधिकृत केवल एक एजेंट को ही निविदा में भाग ले सकने का प्रावधान ।
7. म.प्र. स्थित इकाइयों को प्रदेश के बाहर की इकाइयों की तुलना में प्राईज प्रिफरेंस (दर अधिमान) की प्रथा को स्थगित रखा जाना ।

(2) निगम के माध्यम से प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार प्रावधान किये गये :–

1. उत्पादों का 80% गुणवत्ता निरीक्षण Third Party (बाह्य संस्था) द्वारा ।
2. पुनर्निरीक्षण व सामग्री प्राप्तकर्ता विभाग के साथ निरीक्षण का प्रावधान, चयनित मामलों में।

(3) प्रदायादेश के वितरण में निगम द्वारा निम्नानुसार पारदर्शी प्रकिया निर्धारित की गई है :–

1. प्रदायादेश लाने वाले सप्लायर को प्रदायादेश जारी नहीं किये जाने का निर्णय ।
2. निविदा में न्यूनतम दर आफर करने वाली इकाइयों को प्रदाय आदेश देने में प्राथमिकता ।
3. इकाईयों के मध्य क्रयादेशों का वितरण युक्तियुक्त आधार पर ।

(4) एम्पोरियम गतिविधियों में प्रगति :–

1. एम्पोरियम गतिविधि को और अधिक व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक एवं ग्राहकोन्मुखी बनाने हेतु ग्वालियर एवं कोलकाता एम्पोरियम की सम्पूर्ण साज–सज्जा का कार्य वित्तीय वर्ष 2008–09 में पूर्ण एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में भोपाल एवं जबलपुर एम्पोरियम की साज–सज्जा का कार्य प्रगति पर है।

(5) अन्य :–

1. नवीन वेबसाईट www.mpexporters.com प्रारम्भ की गई, जिसमें प्रदेश के मुख्य निर्यातकों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है ।

2. निगम द्वारा एसाईड योजना के अन्तर्गत 11 भाषाओं में पोर्टल का निर्माण किया गया है जो लगभग 177 देशों में देखी व पढ़ी जा सकती है । पोर्टल में इकाईयों के द्वारा निर्मित उत्पादों के विवरण एवं केटलॉग के साथ ऑनलाईन ट्रेडिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी । इस प्रकार इकाईयां पोर्टल के माध्यम से प्रदेश से ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकेंगी ।

3. आगामी रिवर्स बायर सेलर मीट का आयोजन ग्वालियर तथा भोपाल में प्रस्तावित है। मान. मुख्यमंत्रीजी की घोषणा अनुसार इसे एक सतत् आयोजन का रूप दिया गया है।

4. निगम द्वारा शासकीय प्रदाय के अंतर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप दरों के निर्धारण एवं प्रदाय आदेश जारी करने में होने वाले विलम्ब को काफी हद तक कम कर लिया गया है ।

5. भारत शासन की इण्डस्ट्रियल इन्फास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम के अन्तर्गत जबलपुर नगर में रेडीमेड गारमेन्ट काम्पलेक्स की स्थापना बाबत् प्रयास किये जा रहे हैं ।

6. म. प्र. लघु उद्योग निगम में उद्योग संवर्धन नीति के बिंदु क्रमॉक 7.2 के क्रियान्वयन हेतु उद्योग संवर्धन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

भोपाल में फिल्म सिटी की स्थापना, सतना जिले में सर्वसुविधायुक्त सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक केन्द्र का विकास तथा बुधनी नगर पंचायत के समीप जिला सीहोर में टेक्सटाईल पार्क की स्थापना की जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में निगम के पास निम्नलिखित अभिनव योजनाऐं हैः–

1. विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र, इन्दौर

म.प्र. शासन द्वारा विशेष आर्थिक प्रक्षेप की स्थापना संबंधी भारत शासन की मार्गदर्शिका आयात निर्यात नीति 1.4.2000 के परिप्रेक्ष्य में प्रक्षेत्र के विकास के लिए राज्य शासन की नीति तैयार की गई है। यह नीति मंत्री परिषद द्वारा विधिवत माह जुलाई – 02 मे अनुमोदित की गई है। इस विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति के अनुसरण मे म.प्र. शासन द्वारा इन्दौर स्पेशल इकानामिक झोन (स्पेशल प्रोविजन्स) अधिनियम 2003 पारित किया गया है। इसके अंतर्गत एस.ई.झेड. मे स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईओ को राज्य के विभिन्न कानूनो के अंतर्गत लगने वाले करो शुल्को ,उपकरो इत्यादि से छूट दी गई है। साथ ही सिंगल एजेसी क्लीयरेंस प्रणाली को लागू किए जाने हेतू प्रावधान किए गए है।

निगम द्वारा पीथमपुर (जिला धार) में 1,113.722 हेक्टर भूमि पर बहूउत्पाद विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इस हेतु भारत शासन द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी गई है तथा विकास हेतु एम.पी.एकेविएन,इन्दौर को विकासकर्ता नियुक्त किया गया है। इस प्रक्षेत्र हेतु विकास आयुक्त

तथा कस्टम कार्यालय स्थापित किए गए है तथा प्रक्षेत्र क्रियाशील हो चुका है जिसके अन्तर्गत इकाईयो विभिन्न कर इत्यादि में छुट प्राप्त होकर प्रक्षेत्र द्वारा निर्यात किया जा रहा है।

निगम द्वारा प्रक्षेत्र का चरणबद्ध विकास किया जा रहा है। अद्यतन स्थिति तक 296 हेक्टर भूमि का क्षेत्र प्रोसेसिंग क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। जिसके अन्तर्गत आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जाकर 50 इकाईयो को 175.308 हेक्टर भूमि आवंटन किया गया है एवं शेष आवंटन योग्य 43 हेक्यर भूमि उपलब्ध है।

वर्तमान में इस प्रक्षेत्र मे 27 इकाईयो द्वारा उत्पादन/उद्योग प्रारम्भ किया गया है। एवं 2 इकाईयो द्वारा ट्रेडिग एक्टीविटि प्रारंभ कर दी गई है। जिनमे रू 1468.82 करोड से अधिक पूजी निवेश होकर लगभग 8359 लोगो को रोजगार के सीधे अवसर प्राप्त हूए है। इसके अतिरिक्त प्रक्षेत्र में 6 इकाईयो निर्माणधीन है। जिसमे लगभग रू 2837.30 करोड से अधिक का निवेश होगा तथा लगभग 1384 से अधिक लोगो को रोजगार प्राप्त होगा ।

इस क्षेत्र मे विद्युत प्रदाय हेतु राज्य शासन द्वारा निगम को "डिस्ट्रीब्यूशन लायसेंसी" घोषित किया गया है तथा एन टी पी सी द्वारा 13 मैगावाट विद्युत का आवंटन किया गया है। वर्तमान में भारत शासन/एन टी पी सी द्वारा 6 वर्ष हेतु विद्युत का आवंटन किया गया है जो कि माह मार्च 2011 तक प्रभावी है।

निगम द्वारा विद्युत सप्लाय की आंतरिक वितरण प्रणाली को विकसित किया जाकर दिनांक 11.03.05 से विद्युत प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है। निगम 13 मैगावाट विद्युत का उपयोग कर रहा है तथा औद्योगिक इकाईओ को रू 4.27 प्रति यूनिट तथा रू 280/- प्रति केवीए डीमांए चार्ज की दर पर विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य शासन द्वारा तथा संबंधित ऐजेसियो के द्वारा भूअर्जन तथा अन्य विकासात्मक कार्यो मे रू 87.00 करोड से अधिक का व्यय किया जा चुका है। प्रक्षेत्र हेतु अधिसूचित कुल 1,113.772 हेक्टर भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	*भूमि का प्रकार*	*कुल भूमि (हेक्टर में)*	*अर्जित/हस्तांतरण/अधिपत्य मे भूमि (हेक्टर में)*	*शेष भूमि*
1	निजी भूमि	735.252	549.00	186.252
2	शासकीय भूमि	245.430	200.00	45.430
3	एकेवीएन द्वारा हस्तांतरण भूमि	133.040	133.040	....
	कुल भूमि	1113.722	882.040	230.682

राज्य शासन के निर्णय अनुसार इस क्षेत्र को विकसित करने हेतु निजी प्रवर्तक को आमंत्रित करने संबंधी कार्यवाही निगम द्वारा की जा रही है। इस हेतु खुली निविदा प्रस्तावो हेतु मेसर्स जे.पी.एस. एसोसिएट्स नई दिल्ली को सलाहकार नियुक्त किया गया है। निगम द्वारा इस संबंध मे "एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट" भी आमंत्रित किए गए है। राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख ऐजेंसियो से प्राप्त प्रस्तावो के परिक्षणो उपरांत 9 ऐजेंसियो को अग्रिम कार्यवाही हेतु चयनित किया गया हें । मेसर्स डी एल एस. लि. पेन इण्डिया लि. ओमेक्स लि. रामको इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्श्वनाथ डेव्लपर्स, डी. एस. कस्ट्रक्शन आदिं प्रमुख है। प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाधीन है।

2. अपेरल पार्क, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र, इन्दौर

रेडीमेड गारमेन्टस की निर्यातक इकाईयो को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार के कपडा मंत्रालय द्वारा विशेष आर्थिक प्रक्षेप इन्दौर मे अपैरल पार्क की स्थापना की स्वीकृति नवम्बर 2003 मे प्रदान की गई है।

यह पार्क लगभग 133.38 एकड भूमि पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है इसकी परियोजना लागत रू. 2907 लाख है। दिनांक 31.12.09 की स्थिति में रू 3066.12 लाख का व्यय हो चुका है।

योजना का वित्तीय स्वरूप निम्नानुसार है :—

केन्द्र शासन का अनुदान	—	रू 1700 लाख
राज्य शासन एवं औ.के.वि.नि इन्दौर का अंशदान	—	रू 1207 लाख
कुल	—	रू 2907 लाख

अपेरल पार्क के विकास हेतु मास्टर प्लानिंग की कार्यवाही पूर्ण की जाकर 3400 मीटर सडक का एक कोट डामरीकरण एवं 12 पुलियाओ का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। फेसिंग का कार्य पूर्ण हो चूका है। 11 के. वी. ए लाइन का कार्य भी पूर्ण होकर सब स्टेशन एवं 33 के.वी.ए लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है। ट्रेनिंग सेंटर के भवन निर्माण हेतु निविदा की कार्यवाही की जा रही है। सीवरेज लाईन एवं कामन इफ्लूंट ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य प्रगति पर है एवं 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। जलप्रदाय हेतु संजय जलाशय से पाइप लाइन डाली जा रही है। जिसमे लगभग 4.0 किमी लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। फिल्ट्रेशन प्लांट का कार्य लगभग पूर्ण है।

भारत शासन द्वारा स्वीकृत एपेरल पार्क की स्थापना भी विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र इन्दौर मे की जा रही हैं एवं इसके लिए लगभग 56 हेक्टर भूमि पर अधोसंरचना विकास का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में इस प्रक्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक कार्य प्रगति पर है। जिनमे संजय जलाशय से जल व्यवस्था, एन टी पी सी से विद्युत प्राप्त कर वितरण प्रणाली, सडक पुलिया वं ड्रेन्स का निर्माण , जल प्रदाय प्रणाली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट , स्ट्रीट लाईट आदि का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में मेसर्स प्रतिभा सिंटेक्स लि. को उनकी 55.00 करोड़ की रेडीमेड गारमेन्ट इकाई हेतु 10 एकड भूमि आवंटित की गई है। जिस पर इकाई कार्यरत है एवं एक अन्य इकाई मेसर्स श्री बालाजी एफ आय बी सी लि. को 10 एकड भूमि आवंरित की गई है, जिस पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3. <u>क्रिस्टल आय.टी. पार्क, इंदौर</u>

म. प्र. शासन वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग ने अपने आदेश दिनांक 31.01.03 द्वारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को निर्माण किए जाने हेतु भंवरकुआ प्रक्षेत्र इन्दौर स्थित भूमि इस निगम को निःशुल्क आवंटित की थी। साथ ही निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने की अनुमति भी प्रदान की। कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दौर द्वारा जारी आदेश क्र.1657 दिनांक 24.12.03 द्वारा इस निगम को 21.04 एकड़ भूमि आवंटित की बाद में संशोधन आदेश क्र. 62 दिनांक 18.01.2006 द्वारा किया गया है। निगम द्वारा इस भूमि पर क्रिस्टल आय.टी. पार्क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया एवं वर्तमान में 5.00 लाख वर्गफीट से अधिक निर्मित क्षेत्र का कार्य कर लिया गया है। परियोजना पर दिनांक 31.12.10 तक राशि रू 3358.24 का व्यय किया जा चुका है।

इसी मध्य उक्त पार्क को एस.ई.झेड. घोषित करने हेतु म.प्र.शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा भारत शासन को प्रस्ताव प्रेषित किए गये थे जिन पर विचारोंपरांत भारत शासन द्वारा इस क्रिस्टल आय.टी.पार्क को "सूचना प्रौद्योगिकी और/या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं" हेतु तीन वर्षो के लिए विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र घोषित करने संबंधी अधिसूचना दिनांक 02.11.06 को जारी की गई।

निगम के संचालक मण्डल द्वारा इस पार्क में किए जाने वाले शेष निर्माण कार्य एवं अधोसंरचना विकास कार्यों को निजी विकासकर्ता के माध्यम से पूर्ण करवाने का निर्णय लिया, एवं इस हेतु दिनांक 12.6.2008 को निविदायें भी जारी की गईं थी, जिसकी अंतिम तिथि 31.7.08 रखी गई थी। अंतिम तिथि तक एक निविदाकार मेसर्स जूम डेवलपर्स द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई, जिसका परीक्षण उपरांत शासन के निर्णय के पश्चात निविदाकार मेसर्स जूम डेवलपर्स का चयन सहविकासकर्ता के रूप में किया गया। आगामी कार्यवाही के संदर्भ में निविदाकार के पक्ष में दिनांक 12.12.08 को लेटर ऑफ एक्सपटेंस जारी किया गया, जिसके अनुसार निविदाकार को 30 दिवस की समयावधि में बिड राशि रू 102 करोड़ का 25 प्रतिशत राशि जमा करना था। निर्धारित समयावधि में राशि जमा न कराये जाने के कारण यह कार्यवाही समाप्त हो गई। इसके पश्चात सितंबर 09 मे पुनः निविदा आमंत्रित की गई, परंतु कोई भी निविदा प्राप्त नही हुई। दिनांक 20.01.10 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता मे संपन्न बैठक मे लिए गए निर्णय के अनुक्रम मे नेस्कॉम द्वारा चिन्हित 20 अग्रणी सूचना प्राद्योगिकी कम्पनियो से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए, किन्तु किसी भी कम्पनी से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नही हो सका ।
वर्तमान मे सॉफ्वेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इण्डिया (भारत सरकार का उपक्रम) के साथ इस पार्क को "सेंटर फॉर एम्बीलेंस फॉर रिसर्च डेव्हलपेन्ट एंड ट्रेनिग फॉर आई टी / आई .टी .ई .एस" के रूप मे विकसित/स्थापित करने हेतु दिनांक 22.10.10 को एक एम.ओ.यू हस्ताक्षरित किया गया है। जिस के अनुसार एक एस.पी व्ही गठित कर, परियोजना प्रस्ताव को पूर्ण किया जावेगा । योजना के क्रियान्वयन हेतु कन्सलटेंट नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही हैं।

<u>एस. ई. जेड. हरगढ़, जिला जबलपुर</u>

म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर के पास 632.59 एकड़ भूमि, अधिपत्य में है जिसमें से 250 एकड़ भूमि में मिनरल एण्ड मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के विकास हेतु एक परियोजना लागत रू. 158.10 करोड़ की केन्द्र शासन द्वारा 24 जुलाई 2008 को अधिसूचना जारी की गई है। इस प्रस्तावित एस.ई.जेड. हरगढ़ में प्रसंस्करण क्षेत्र 93.450 हेक्टे. तथा गैर प्रसंस्क्रण क्षेत्र 07.760 हेक्टे. में विकसित किया जा रहा है। इस आर्थिक प्रक्षेत्र में संभावित उद्योग जैसे टाइल्स, रिफ्रेक्ट्रीज, ग्रेनाइट मार्बल, कटिंग पॉलिसिंग, आयरन ओर वेनीफिकेशन इत्यादि है ।

उक्त परियोजना, भारत शासन की गाईड लाईन अनुसार तीन वर्ष में पूर्ण की जाना है । एसाईड योजना में राज्य शासन द्वारा दो परियोजनाओं के अंतर्गत सड़क, पुलिया, नाली, सब–स्टेशन इत्यादि कार्यों हेतु रू. 492.84 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू. 215.00 लाख का वित्तीय आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसके अंतर्गत सड़क, पुलिया, नाली इत्यादि कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इस एस.ई.जेड. में सड़क, पुलिया, नाली, बाउण्ड्रीवाल, फेन्सिंग, सब–स्टेशन इत्यादि कार्यों में रू. 352.92 लाख व्यय हो चुके हैं।

<u>ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण</u>

नगर के उद्योग पतियों, व्यापारियों, जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध नागरिकों, राज नेताओं, मीडिया आदि की बैठकों में विचार करने के बाद मेला में आधुनिक सुविधायें मुहैया कराने, मेले के स्वरूप को आकर्षित बनाने के लिये वर्ष 2005–06 में नवीन प्लान तैयार किया गया था। इस वर्ष मेला परिसर में 55 दुकानों का नव निर्माण कराया गया है, जिसमें लगभग राशि रू. 30 लाख का व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त अतिथियों के ठहरने के उद्देश्य से अनेक्जी भवन के ऊपर दूसरी मंजिल पर 4 कमरे व एक हॉल का निर्माण अतिथि गृह राशि रू0 16 लाख से कराया गया है।

भाग — छः

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

निगम द्वारा सामान्यतः किसी पुस्तक का प्रकाशन नहीं किया जाता है, तथापि निगम द्वारा अपनी गतिविधियों, उत्पादों के ''ब्रोशर'' एवं कैटलॉग मुद्रित कराये जाते है ।

मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

राज्य में निवेश प्रोत्साहन हेतु प्रदेश पर तैयार की गयी लघु फिल्म ''डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश'' को अद्यतन कर विभिन्न इंवेस्टर्स मीट में प्रदर्शित किया गया तथा निवेश संभावनाओं पर जानकारीयुक्त सेक्टोरल प्रोफाईल एवं स्टेट पॉलिसी की सीडी तैयार कर वितरित की गयी। इसके अतिरिक्त यथा आवश्यकता नवीन ब्रोशर्स एवं प्रचार–प्रसार सामग्री समय–समय पर तैयार की गयी।

अतिरिक्त जानकारीः– दिल्ली के प्रगति मैदान में ''भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2010'' दिनांक 14 से 27 नवम्बर 2010 में एमपीएसआईडीसी द्वारा भाग लिया गया। राज्य में हुई चौमुखी औद्योगिक प्रगति को शोकेस करते हुए अधोसंरचना विकास, वृहद एवं मध्यम उद्योगों को उनके उत्पादों सहित प्रदर्शित किया गया तथा उद्योगों के उत्पाद एवं शासन की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित जानकारी पैनल्स सहित प्रदर्शित की गयी।

प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से ट्रायफेक के साथ भारत में बैंगलूरू, मुबंई, कोलकाता, दिल्ली एवं लुधियाना तथा विदेशों में जर्मनी, इटली और नीदरलैंड में इंवेस्टर इंटरएक्टिव सेशन/रोड शो आयोजित किये गये। दिनांक 22–23 अक्टूबर 2010 को खजुराहो में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट II का आयोजन किया गया जिसमें रूपये 2,44,851 करोड़ के 107 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये। एमपीएसआईडीसी की उपरोक्त आयोजनों में सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग रहा है।

मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो. लिमिटेड

आलोच्य वर्ष में की गई गतिविधियों के तीन ब्रोशर प्रकाशित किए गए है।

भाग — सात

सारांश

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

उद्योग संचालनालय, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने तथा स्थापित उद्योगों को विभिन्न अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उद्योगों को सुदृढ़ करने का व उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।

विभाग द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न स्वरोजगार योजना जैसे— रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना, दीनदयाल रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाते हैं। प्रदेश के सर्वांगीण व समुचित औद्योगिक विकास हेतु मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना 01 नवंबर, 2010 से लागू की गई है। उक्त नीति आगामी 5 वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी।

उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत विभाग द्वारा आदेश एवं दिशा—निर्देश जारी किए गए हैं। इन्हें विभागीय वेबसाइट **www.mpindustry.org** पर अपलोड किया गया है।

विभाग द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ—साथ स्वरोजगार के लिए वित्तीय व्यवस्था को आसान व सुलभ बनाया जाना, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधन एवं स्थानीय कौशल के दोहन पर विशेष बल दिया जाना, प्रदेश के भीतर और दूसरे प्रदेशों के साथ बाजारों की नेटवर्किंग की जाना, उद्योग एवं औद्योगिक विकास के उन्नयन की व्यवस्था, प्रदेश में बड़े उद्योगों एवं अप्रवासी भारतीयों द्वारा औद्योगिक निवेश करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाना, प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की बड़ी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन का कार्य तथा सभी प्रकार के व्यवसायिक लायसेंस एक खिड़की से दिए जाने की व्यवस्था की जाना तथा गैर कृषि ग्रामीण उद्यमिता को सम—उन्नत, संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाये जाने का भी कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश में प्राप्त हो रहे निवेश प्रस्तावों को सिंगल टेबल व्यवस्था के अंतर्गत स्वीकृति एवं क्लियरेंस प्रदान करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड इम्पलीमेंटेशन बोर्ड गठित है, जिसकी बैठकें की जा रही हैं।

रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी में निरंतर वृद्वि हो रही है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में वैतनिक रोजगार में हो रही निरंतर कमी के कारण आवेदकों को वैतनिक रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे है। बदली हुई परिस्थितियों में रोजगार कार्यालयों को व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। चुने हुए रोजगार कार्यालयों में प्रशिक्षित काउंसलर द्वारा सघन व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए कॅरियर काउंसिलिंग की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। सभी रोजगार कार्यालयों में आवेदकों के लिए अद्यतन कॅरियर साहित्य ,प्रशिक्षण सुविधायें, स्वरोजगार योजनायें तथा रोजगार बाजार की प्रवृत्ति आदि जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है साथ ही तेजी से बढ़ते हुये निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार अवसरों के दोहन के लिए रोजगार कार्यालयों द्वारा **''जॉब फेयर''** आयोजित किये जा रहे है। आवेदकों एवं नियोजकों को त्वरित त्रुटिहीन सेवा प्रदान करने की दृष्टि से सभी रोजगार कार्यालयों को सूचना प्रोद्योगिकी से जोड़ा गया है एवं सूचना प्रोद्योगिकी के अन्तर्गत रोजगार प्रक्रिया का निरन्तर विस्तार किया जा रहा है ।

पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं

कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश विभागाध्यक्षीय कार्यालय जिसका मुख्यालय भोपाल है एवं विभागाध्यक्ष रजिस्ट्रार है। इस कार्यालय के अधीन सात क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा संभाग मे है।

रजिस्ट्रार को भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 एव मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 एव संशोधित अधिनियमय एव नियम 1998 के तहत् कार्य सौपा गया है।

कार्यालय एव अधीनस्थ सात (संभागीय) कार्यालयो मे एकल खिड़की की व्यवस्था की गई जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रकरणो के निराकरण के लिए समय–सीमा भी निर्धारित की गई है। ऐसी पंजीकृत संस्थाए जो नियमानुसार अधिनियम की धारा 27 एव 28 की जानकारी विहित शुल्क के साथ जमा नही कर रही है, को उल्लंघन के नोटिस भेजने के पश्चात् भी यदि उनके द्वारा जानकारी व शुल्क जमा नही किया जा रहा है, का पंजीयन निरस्तीकरण करने की कार्यवाही भी की जा रही है।

वाष्पयंत्र संचालनालय, मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश में इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 (5 ऑफ 1923) का प्रशासन प्रतिवेदित अवधि में श्री पी..डी. दीक्षित, संचालक वाष्पयंत्र द्वारा दो निरीक्षक वाष्पयंत्र प्रथम श्रेणी एवं एक निरीक्षक वाष्पयंत्र द्वितीय श्रेणी की सहायता से सम्पादित किया गया।

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 21.12.01 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ (2) –2001–अ–11 से मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित या जो भविष्य में स्थापित किये जावेगें ऐसे बॉयलर जिनका तापन सतह 1000 वर्ग मीटर तक है को भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 की विभिन्न धाराओं के उपबंधों के प्रवर्तन से अपवर्जित किया है । इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 की विभिन्न धाराओं में संशोधन किये गये है, उक्त संशोधनों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

दुर्घटना :– प्रतिवेदित अवधि में पंजीकृत बायलरों में कोई गम्भीर दुर्घटना नहीं हुई है ।

इलेक्ट्रोड का निर्माण :– बॉयलर के वेल्डिंग जोड़ में लगने वाले इलेक्ट्रोड्स के निर्माण की लगभग 7 ईकाइयॉ प्रदेश में कार्यरत है । इकाइयों द्वारा निर्मित इलेक्ट्रोड्स की गुणवत्ता की जॉच प्रत्येक छः माह में विभाग द्वारा इंडियन बॉयलर्स रेग्यूलेशन 1950 के मानकों के अनुसार की जाकर उन्हें प्रमाण–पत्र जारी किये जाते है ।

विशेष उपलब्धियॉ:–

1. इस वर्ष उन सभी बॉयलर्स के निरीक्षण पूर्ण कर लिये गये है, जिनके निरीक्षण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ।

2. चालू वित्तीय वर्ष में अब तक रूपयें 100.50 लाख की आय व रूपयें 51.48 लाख का व्यय हुआ अर्थात् रूपयें 49.02 लाख की शुद्व बचत हुई।

3. प्रतिवेदित अवधि में 43 बायलर्स एवं 03 इकोनामाइजर का पंजीयन किया गया ।

4. फेब्रीकेशन कार्यः— प्रतिवेदित अवधि में भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के विनियम 4 (सी) (i) एवं (ii) के अंतर्गत भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लि0,भोपाल द्वारा विभिन्न थर्मल पावर स्टेशनों के लिए 12 एच0पी0 हीटरों का निर्माण किया। विभाग द्वारा समय—समय पर निरीक्षण कर प्रमाण—पत्र फार्म II एवं III जारी किये गये। बैन्ड ज्वाइन्ट्स भोपाल द्वारा बीएचईएल भोपाल के लिए स्टेण्ड पाईप, शैल एवं स्कर्ट एसेम्बली, जो विभिन्न थर्मल पावर स्टेशन में उपयोग में आती है, एवं विभिन्न थर्मल पावर स्टेशनों के लिए वाटर बाक्स असेम्बली, एकानोमाइजर क्वाइल, इत्यादि के लिए विभिन्न पार्टस का निर्माण किया गया जिनका समयानुसार निरीक्षण कर प्रमाण—पत्र जारी किये गये।

अन्य निर्माण ईकाइयॉ विश्वकर्मा फेब्रिकेटर्स, भोपाल, ईएमआई इण्डस्ट्रीज भोपाल एवं सिगमा हेवी इंजीनियरिंग भोपाल एवं अन्य इकाईयों द्वारा फेब्रीकेशन कार्य किया जाता है एवं नियमित रूप से समयानुसार विभाग द्वारा निरीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी किये जाते है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

म.प्र. लघु उद्योग निगम, लघु उद्योगों के हितों के संरक्षण एवं विकास में निरन्तर संलग्न है। निगम लघु उद्योगों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराकर तथा उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति कर के उनके उत्थान में सत्त प्रयत्नशील है । निगम द्वारा प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर स्थित अपने एम्पोरियमों के माध्यम से बुनकरों तथा हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रदर्शन एवं विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। निगम द्वारा चंदेरी, माहेश्वरी, कोसा इत्यादि साड़ियां बड़ी मात्रा में सीधे बुनकरों से क्रय कर उन्हें कम से कम अवधि में भुगतान कर उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है । निगम का तकनीकी विभाग लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादों के परीक्षण व इनकी गुणवत्ता नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । म.प्र. लघु उद्योग निगम निरन्तर अपनी 'उत्पादकता' बढ़ाने में प्रयासरत है ।

मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो. लिमिटेड

राज्य शासन द्वारा इस निगम की स्थापना प्रदेश के बड़े उद्योगों, विदेशी पूंजी निवेशकों एवं अप्रवासी भारतीयों द्वारा ओद्योगिक निवेश को आकर्षित करने तथा उनके प्रस्तावों को प्रक्रिया के अधीन तुरंत स्वीकृतियां प्राप्त करने में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

प्रदेश का यह मेला अन्य प्रदेशों में भी लोकप्रिय है। आयोजन राष्ट्रीय स्तर के, अति—आकर्षित एवं सराहनीय होते हैं।

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

राज्य शासन द्वारा आदेश दिनांक 31.10.2000 से निगम को बंद करने के आदेश जारी किये गये थे। आदेश का क्रियान्वयन करते हुये निगम द्वारा संचालित समस्त हाथकरघा वस्त्रों के उत्पादन से संबंधित इकाईयों एवं संचालित मिल को बंद कर दिया गया है। वस्त्रों के विपणन व्यवस्था हेतु चलाये जा रहे समस्त केन्द्र भी बंद कर दिये गये है।

संचालक मण्डल के निर्देशानुसार निगम की संपत्तियो का निराकरण समय–समय पर किया जा रहा है।

म.प्र. पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत सार्वजनिक उपकमों के विभाजन के संबंध में श्री आर. पी. कपूर की अध्यक्षता में गठित सार्वजनिक उपक्रम समिति की बैठक दिनांक 10.1.2005 में निगम की छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित संपत्तियों का विभाजन म.प्र. एवं छत्तसगढ़ के मध्य हो चुका है। जिसमें निगम की छत्तीसगढ़ में स्थित संपत्तियों–भूमि, वाहन, फर्नीचर/फिक्चर्स एवं कपड़े के स्कंध आदि की राशि को सम्मिलित करते हुये निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ राज्य औद्योगिक विकास निगम, रायपुर द्वारा इस निगम को राशि रूपये 188.69 लाख का भुगतान तीन किस्तों में किया जावे जिसकी प्रथम किस्त माह मई 2005 में इस निगम को प्राप्त होना थी किन्तु आज दिनांक तक किसी भी किस्त का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, रायपुर से प्राप्त नहीं हुआ है।

अवंति सूत मिल, सनावद की परिसंपत्तियों का विक्रय मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार अध्यक्ष, अवंति मिल वर्कर्स सोसायटी को किया गया है तथा संपत्तियां भी भौतिक रूप से सोसायटी को सौंपी जा चुकी है। मिल की 12.382 हैक्टयर भूमि की लीज की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।

निगम की संपत्तियों के निराकरण के पश्चात् कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार निगम का स्वैच्छिक परिसमापन किया जावेगा । म.प्र.शासन, वित्त विभाग (परियोजना प्रबन्धन् इकाई) द्वारा निगम के विधिक परिसमापन हेतु मेसर्स एम. मुंशी एण्ड एसोसिएटस्, इंदौर को निगम के परिसमापन में सहयोग करने हेतु नियुक्त किया गया है। मेसर्स एम. मुंशी एण्ड एसोसिएटस्, इंदौर द्वारा निगम के परिसमापन की कार्यवाही की जा रही है।

<u>भाग — आठ</u>

<u>मध्यप्रदेश की महिला नीति के बिन्दु क्रमांक 227 के अनुसार वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन में महिलाओं के लिये किये गये कार्यो पर अलग से खण्ड</u>

<u>उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश</u>

उद्योग संचालनालय अंतर्गत महिलाओ के आर्थिक उन्नयन एवं रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से संचालित विभिन्न रोजगार मूलक योजनाएँ के तहत महिलाओं को भी लाभांवित किया गया है, जानकारी निम्नानुसार है :—

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :—

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत वर्ष 2010—11 में 1554 लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर 2010 तक 562 हितग्राही को रू. 1292.95 लाख मार्जिन मनी वितरित कराई गई, जिसमे से 98 महिलाओं को रू. 337.47 लाख मार्जिन मनी वितरित कराकर लाभान्वित कराया गया ।

2. रानी दुर्गावती अजा/अजजा स्वरोजगार योजना :—

वर्ष **2010—11** के लिये कुल **3500** अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्रहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2010 तक **1999** शिक्षित बेरोजगारों को मार्जिन मनी **रू 1713.77** स्वीकृत कर वितरित की गई, इनमें से **178** महिलाओं को राशि **रू0 102.83 लाख** की मार्जिन मनी वितरित की जाकर लाभान्वित कराया गया है।

इस योजनांतर्गत महिलाओं हेतु **30 प्रतिशत** के आरक्षण का प्रावधान कराया गया है।

3. दीनदयाल रोजगार योजना :—

इस योजनांतर्गत वर्ष **2010—11** के लिये कुल लक्ष्य **3000** के विरूद्ध माह दिसम्बर 2010 तक **1126** शिक्षित बेरोजगारों को मार्जिन मनी **रू0 90.02 लाख** स्वीकृत कर वितरित की गई । उक्त में से **143** महिलाओं को राशि **रू0 11.53 लाख** की मार्जिनमनी स्वीकृत कर वितरित की गई ।

इस योजनांतर्गत महिलाओं हेत **30 प्रतिशत** के आरक्षण का प्रावधान कराया गया है।

4. शेड एवं प्लाट आवंटन :—

औद्योगिक क्षेत्रों/संस्थानों में शेड/भू—खंड में उद्योग स्थापना हेतु किये जाने वाले आवंटन नियम में महिला उद्यमियों को 75 प्रतिशत प्रीमियम पर शेड/भू खण्ड आवंटित किये जाने का प्रावधान है। वर्ष **2010—11** में माह **दिसम्बर 2010** तक **74** महिलाओं को भूमि/ शेड आवंटित कर लाभान्वित किया गया है।

5. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापना :–

वर्ष **2010–11** में माह **दिसम्बर 2010 तक** तक महिला उद्यमियों द्वारा **2683** उद्यमों की स्थापना की गई, निसमें राशि **रू0 1512.11 लाख** का पूँजी निवेश हुआ एवं **4886** व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

6. वित्तीय सहायता :–

वर्ष **2010–11** में माह **दिसम्बर 2010** तक **24** महिला उद्यमियों को **रू0 164.38 लाख** निवेश पर अनुदान (लागत पूंजी अनुदान), **66** महिला उद्यमियों को **रू0 134.91 लाख** ब्याज अनुदान दिया गया तथा उद्योग संवर्धन सहायता योजना में **02** महिला उद्यमियों को **रू0 11.71** लाख की सहायता दी गई।

7. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत **वर्ष 2010–11** में माह **दिसम्बर 2010 तक** 251 महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया ।

8. वर्ष 2010–11 में दिसम्बर, 2010 तक रोजगार कार्यालयों द्वारा महिलाओं के लिये किये गये कार्यों के आंकड़े निम्नानुसार हैं :–

पंजीयन	नियुक्ति	संप्रेषण	जीवित पंजी
83879	**246**	**2198**	**412053**

9. महिला प्रकोष्ठ का गठन :–

विभाग द्वारा संचालित रोजगार योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी अधिकाधिक हो इस हेतु जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों में महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं

कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाए, मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 एव भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रशासन का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र या राज्य शासन की अन्य कोई योजना आदि का संचालन नही किया जाता है।

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन महिला मण्डलो का पंजीयन किया जाता है । महिला मण्डलो के पंजीयनो को प्रोत्साहन देने के लिये पंजीयन शुल्क रूपये 300/– रखा गया है जो सामान्य पंजीयन शुल्क का केवल 20% है। महिला उत्पीडन के संबंध मे कमेटी का गठन किया गया है एवं वर्तमान मे इस प्रकार का प्रकरण लंबित नही है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

निगम द्वारा प्रदाय आदेश प्रदान करने में ''महिला उद्यमियों'' को प्राथमिकता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर तक 69 महिला उद्यमियों को कुल रू. 39.47 करोड़ की विपणन सुविधा प्रदान की गई ।

मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

निगम द्वारा उच्चतम न्यायालय से जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के परिपालन में कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिये समिति का गठन किया जा चुका है। तदनुसार इस संबंध में सूचना पटल पर भी जानकारी लगायी गई है। समिति को इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो. लिमिटेड

निगम द्वारा उच्चतम न्यायालय से जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त के परिपालन में कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समिति का गठन किया जा चुका है। तद्नुसार इस संबंध में सूचना पटल पर भी जानकारी लगाई गई है। समिति को इस संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
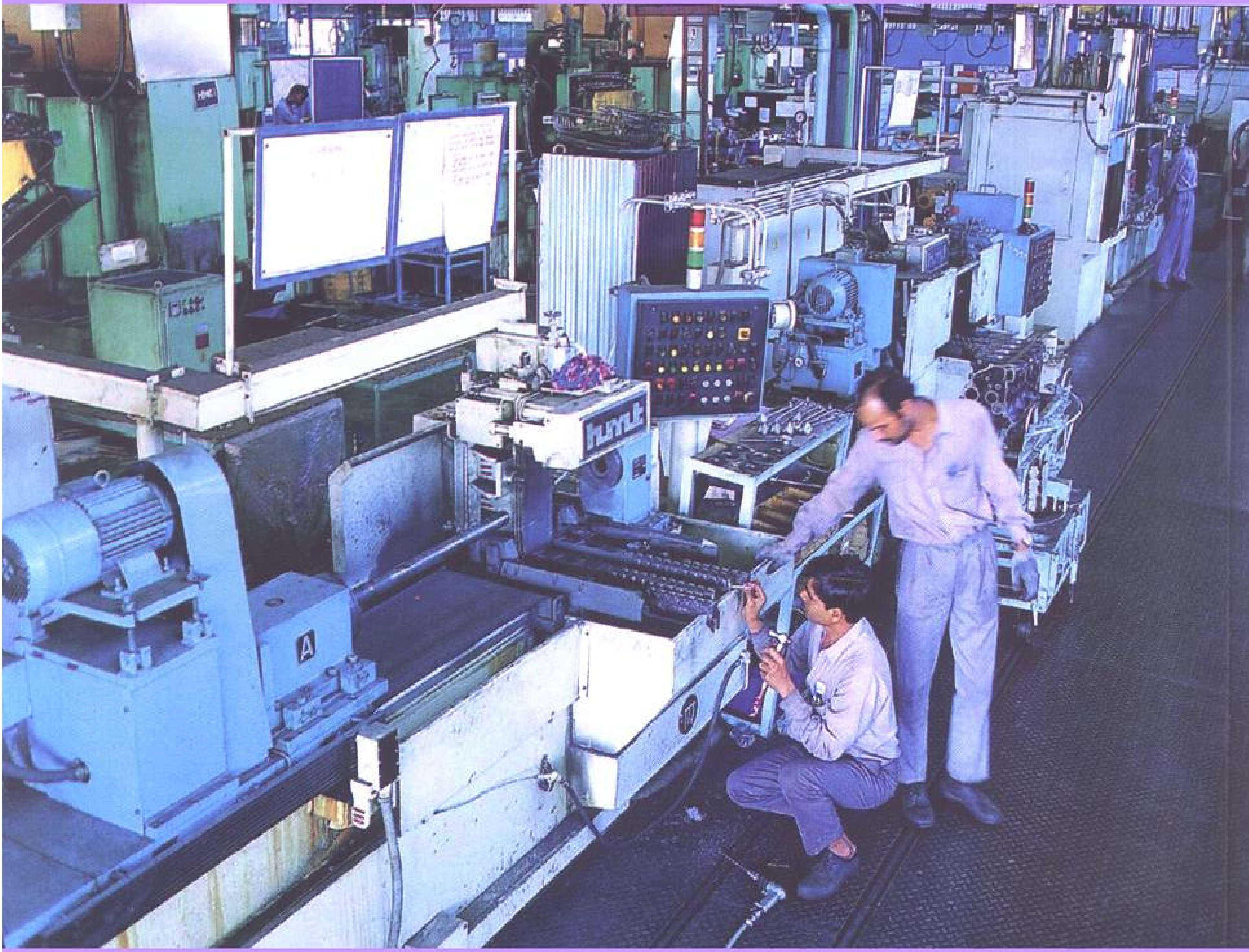
MOU's Review